

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL.

Original Application No. 154/2023(CZ)

Navendra Mishra : Applicant

// VERSUS //

Municipal Council of Seoni (M.P.) & Ors. : Respondents

I N D E X

S. No.	Description of documents	Annexure	Page No.
1.	Index	-	01 & 02
2.	Compliance Report on behalf of the respondent No. 1, with affidavit.	-	03 to 12
3.	Copy of the proceedings dated 10.12.2019, of District Planning Committee.	R-1	
4.	Copy of the Letter dated 04.01.2020.	R-2	
5.	Copy of the Letter dated 28.02.2020 of CMO, Municipal Council, Seoni and copy of Letter dated 18.01.2022 of MLA, Seoni.	R-3 & R-4	
6.	Copy of the Letter dated 03.03.2020.	R-5	
7.	Copy of the letter dated 19.01.2022 of District Planning Officer.	R-6	
8.	Copy of the Resolution No.3	R-7	



24 JAN 2024


9.	Copy of Letter dated 21.11.2022 and 'No Objection' received by the different Departments.	R-8 & R-9	
10.	Copy of Letter dated 17.07.2023.	R-10	
11.	Copy of Letter dated 02.12.2020 of Collector, Seoni.	R-11	
12.	Copy of the Letter dated 18.12.2020, of Chief Engineer, Urban Administration & Development, Bhopal.	R-12	
13.	Copy of the Technical Sanction vide letter dated 31.12.2020.	R-13	
14.	Copy of the Agreement dated 10.05.2023,	R-14	
15.	Copy of the Letter dated 11.01.2024.	R-15	
16.	Copy of the photographs.	R-16	
17.	Copy of the letter dated 16.01.2024.	R-17	
18.	Copy of the relevant documents in relation to the Musical Fountain, Jet Fountain and Gallery.	R-18	
19.	Vakalatnama		

JABALPUR

DATED :

(DEEPAK AWASTHI)

Advocate for the respondent No.1



24 JAN 2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL.

Original Application No. 154/2023(CZ)

Navendra Mishra : Applicant

// VERSUS //

Municipal Council of Seoni (M.P.) & Ors. : Respondents

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE
MUNICIPAL COUNCIL, SEONI, RESPONDENT NO.1

The respondent No.1, named above respectfully submit as under:-

1. That, present application was filed by the applicant, contending violation of Rule 4 of **Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (for brevity "Rules of 2017")**, on the ground that respondent No.1, is carrying out illegal, permanent construction in Dul Sagar Lake of Seoni City. The Hon'ble Tribunal was pleased to constitute the Committee and the same has submitted Spot Panchnama Report and found various deficiencies, which are specifically mentioned in Order dated 08.01.2024, of this Hon'ble Tribunal.

2. That, the Hon'ble Tribunal after taking into consideration the Mandatory provisions of Rules of 2017, has passed direction in Para 7, and has further found that as per Report submitted by the Committee, various infirmities were found during the inspection and in Para 9, the Hon'ble Tribunal was



24 JAN 2024

pleased to direct the answering respondent to submit under what authority they were acting in violation of Environmental Rules.

3. That, at very outset the humble respondent submits its unconditional apology in case this Hon'ble Tribunal finally comes to hold that while undertaking the process of Beautification of Dal Sagar Talab, any unintentional violation is undertaken.

4. That, in order to appreciate that the answering respondent has only implemented the decision of the "Jila Yojana Samiti, Seoni" and only after permission by the Collector, Seoni, all the process of beautification and installation of the statue of Raja Dalpat Shah was started. It is suffice here to mention that the statue of Raja Dalpat Shah, was to be installed on the Island situated in the Talab, over Cemented Platform and for the convenience of Public to reach the Island, a Foot Over Bridge was proposed.

5. That, for the convenience of this Hon'ble Court, the humble respondent is placing on record the list of Event in Chronological Order, as under :-

- (i) On 10.03.2019, in the Meeting of "**Jila Yojana Samiti**" under the Chairmanship of Minister of Public Health Engineering, Govt. of M.P. and in presence of Collector, Seoni, and Member of Legislative Assembly (M.L.A.),



24 JAN 2024

Barghat, Seoni, Lakhnadone, a decision was taken for installation of Statue of Raja Dalpat Shah, who has constructed the Dal Sagar Talab and it was directed to the Chief Municipal Officer, Municipal Council, Seoni to select the appropriate site for installation of statue and for Beautification of Talab. Copy of the proceedings dated 10.12.2019, of District Planning Committee is being filed herewith as **Annexure R-1**.

- (ii) That, pursuant to aforesaid decision of the District Planning Committee, Seoni, the District Planning Officer in the office of Collector, Seoni, has directed the Chief Municipal Officer, Seoni vide Letter dated 04.01.2020, to submit necessary Technical Sanction, Drawing Design and Estimate for installation of statue and for Beautification of Dal Sagar Talab. The copy of Letter dated 04.01.2020 is being filed herewith as **Annexure R-2**.
- (iii) That, for installation of statue and beautification of Dal Sagar Talab, the M.L.A., Seoni Dinesh Rai Munmun, has submitted his consent to give Rs.20,00,000/- from his "Vidhayak Nidhi", which is clear from Letter dated 28.02.2020 of C.M.O., Municipal Council Seoni, to District Planning Officer, Seoni and the same is also clear from Letter dated 18.01.2022 of M.L.A., Seoni. Copy of the Letter dated 28.02.2020 of CMO, Municipal Council,



24 JAN 2024

Seoni and copy of Letter dated 18.01.2022 of MLA, Seoni are separately being filed herewith as Annexure R-3 & R-4 respectively.


- (iv) That, on 03.03.2020, the District Planning Officer, after permission of Collector, Seoni, has informed that an amount of Rs.20,00,000/- (Rupees Twenty Lakhs only) is allocated by the M.L.A., Seoni, for installation of statue and beautification of Talab and the Chief Municipal Officer, Seoni is granted permission to take up the aforesaid work as per the condition stipulated in Letter dated 03.03.2020. Copy of the Letter dated 03.03.2020 is being filed herewith as Annexure R-5.
- (v) That, on 19.01.2022, the District Planning Officer in the office of Collector, Seoni, has directed the Chief Municipal Officer, Seoni that the amount allocated by M.L.A, Seoni, is transferred to the account of Municipal Council, Seoni and further steps be taken and information be given to MLA, Seoni. The copy of letter dated 19.01.2022 of District Planning Officer is being filed herewith as Annexure R-6.
- (vi) That, pursuant to letter dated 19.01.2022, issued regarding installation of statue and beautification of Talab was placed in the Meeting dated 28.10.2022 of President-in-Council, and the Resolution No.3, was



24 JAN 2024

passed on 28.10.2022. Copy of the Resolution No.3 is being filed herewith as Annexure R-7.

- (vii) That, after passing of the Resolution by the President in Council, the Chief Municipal Corporation has written letter to various authorities such as the Station In-charge, Traffic Police, Seoni, Executive Engineer, PWD, Seoni, Assistant Engineer, Urban, M.P. Electricity Board, Seoni, Deputy Director, Town & Country Planning, Chhindwara, Project Director, NHAI, Chhindwara, seeking 'No Objection', vide Letter dated 21.11.2022 and after receipt of 'No Objection', further proceedings were initiated. The copy of Letter dated 21.11.2022 and 'No Objection' received by the different Departments are separately being filed herewith as Annexure R-8 and R-9.
- (viii) That, on 17.07.2022, the Collector, Seoni, has granted permission for installation of statue of Raja Dalpat Shah on the Island, situated in the Talab, and **further imposed a condition for construction of Pathway to reach the Island, where statue is to be installed**. The copy of Letter dated 17.07.2022, is being filed herewith as Annexure R-10.
- (ix) That, in relation to Foot Over Bridge to be constructed upto the Island, the Collector Seoni, vide its letter dated 02.12.2020, has written to Commissioner, Urban Administration & Development, that a decision has been



24 JAN 2024

taken in the meeting dated 10.08.2020 for which an amount of Rs.1,51,38,119/- (Rupees One Crores Fifty One Lakhs Thirty Eight Thousand Hundred Nineteen only). Copy of Letter dated 02.12.2020 of Collector, Seoni is being filed herewith as Annexure R-11.

- (x) That, pursuant to letter dated 02.12.2020 of Collector, Seoni, the Chief Engineer, Urban Administration & Development, Bhopal, vide letter dated 18.12.2020, has directed the Chief Municipal Officer, Seoni, to submit DPR, alongwith recommendation of Divisional, Executive Engineer, Urban Administration & Development, Jabalpur, so that further proceeding be initiated. Copy of the Letter dated 18.12.2020, of Chief Engineer, Urban Administration & Development, Bhopal, is being filed herewith as Annexure R-12.
- (xi) That, in compliance of abovementioned communication, all the necessary documents were submitted to the competent authority and the Superintending Engineer, Urban Administration & Development, Jabalpur Division, Jabalpur vide Letter dated 31.12.2020 has accorded Technical Sanction. The copy of Technical Sanction vide letter dated 31.12.2020 is being filed herewith as Annexure R-13.
- (xii) That, thereafter the NIT was floated for construction of Foot Over Bridge and work was allotted to the Contractor



24 JAN 2021

on 10.05.2023. The copy of Agreement dated 10.05.2023, is being filed herewith as Annexure R-14.

CORRECTIVE STEPS BY THE MUNICIPAL COUNCIL.

The answering respondent has taken following corrective steps in compliance of the Report submitted by the M.P. Pollution Control Board and directions issued by the Hon'ble Tribunal :-

- (A) That, on 11.01.2024, the letter is issued to the Contractor to stop the construction work in the Dal Sagar Talab, till further orders. Copy of the Letter dated 11.01.2024, is being filed herewith as Annexure R-15.
- (B) That, the Drain/Nala, situated near the Rain Basera, which was meeting into Dal Sagar Talab, has been completely closed and now no Untreated Water is being discharged in the Talab.
- (C) That, Municipal Council has taken extensive drive for disilting of Talab and for removal of thrash and Plastic and also the vegetation, covering the Talab. Copy of the photographs are being filed herewith as Annexure R-16.
- (D) That, on 16.01.2024, the answering respondent has informed the Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Jabalpur, regarding the steps taken, in compliance of the orders passed by the Hon'ble Tribunal.



24 JAN 2024

The copy of letter dated 16.01.2024, is being filed herewith as Annexure R-17.

(E) That, it would be proper here to brought to the knowledge of this Hon'ble Tribunal that an amount of **Rs.6,31,14,987/- (Rupees Six Crores Thirty One Lakhs Fourteen Thousand Nine Hundred & Eighty Seven only)** have been sanctioned under the Chief Minister Infrastructure Scheme for Musical Fountain & Sound System alongwith .06.. number of Jet Fountain and a Gallery on the open pillars, is also proposed to be constructed along side the banks of Talab, to view the Musical Fountain and Sound system. Looking to the fact, that as the issue is pending before this Hon'ble Tribunal, no further steps is being undertaken unless the Hon'ble Tribunal approve the installation of Musical Fountain, Jet Fountain and the Gallery. The copy of relevant documents in relation to the Musical Fountain, Jet Fountain and Gallery are collective being filed herewith as Annexure A-18.

6. That, in view of abovementioned facts, it is sufficiently clear that the Municipal Corporation, has acted as per the recommendation of the Jila Yojana Samiti and the directions issued by different State Authorities for construction of Foot Over Bridge and installation of Statue. It is clear that the Municipal Council, has not allocated any amount for the work in



24 JAN 2024

question and all the amount has been sanctioned and provided by the State Authorities in view of recommendations made by the Jila Yojana Samiti. The work in question was started after approval and sanction by the State Authorities and thus no fault is lies with the Municipal Council, and it has worked as an Executing Agency only.

18. An affidavit in support of this return is being filed herewith.

JABALPUR :

DATED :

(DEEPAK AWASTHI)

Advocate for the respondent No.1



24 JAN 2024



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL.**

Original Application No. 154/2023(CZ)

Navendra Mishra : Applicant

// VERSUS //

Municipal Council of Seoni (M.P.) & Ors.: Respondents

AFFIDAVIT

I, Ram Kumar Kurveti, S/o Shri J.L. Kurveti, aged about 58 years, Chief Municipal Officer, Municipal Council, Seoni (M.P.), do hereby solemnly affirms on oath as under :-

1. That, being the respondent No.1, I am well conversant with the facts and circumstances of the case, and am competent to swear this affidavit before this Hon'ble Court.
2. That, the accompanying Compliance Report on behalf of respondent No.1, has been drafted under instructions and on the basis of information received from the documents, by my Counsel and contents whereof from Para 01 to end, are correct to the best of my knowledge and believed to be true & based on documents. I have been read over all the contents made in the return.

DEPONENT

VERIFICATION

I, Ram Kumar Kurveti, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit from Paras 01 & 02 are true and correct to the best of my personal knowledge and belief. Signed and verified on this 24th day of January, 2024 at Jabalpur (M.P.).

Identified by me

Solemnly affirmed before my
 Declared before me as under DEPONENT
 Shri/Smt. Ram Kumar Kurveti
 S/o, J.L. Kurveti
 Aged about 58 years, Occupation, Chief Municipal Officer, Seoni
 Resident of C.M.O. M.C. Seoni
 Who is present to me has
 been duly identified by Navendra Sharma
Advocate/Notary
 Signature of Identifier - Navendra Sharma
 NOTARY

Registered on 8/2024

*Navendra Sharma
Advocate/Notary
574, HANUMANTAL
JABALPUR
24 JAN 2024*

माननीय श्री सुखदेव पासे, मंत्री, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रभावी मंत्री, जिला योजना समिति की अध्यक्षता में दिनांक 10-12-2019 दिन मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर महोदय द्वारा माननीय श्री सुखदेव पासे, अध्यक्ष, जिला योजना समिति, माननीय श्री अर्जुनसिंह काकोडिया, विधायक बरघाट, माननीय श्री दिनेश राय, "मुनमुन" विधायक सिवनी, माननीय श्री राकेश पाल सिंह, विधायक केवलारी, माननीय श्री योगेन्द्र सिंह, "बका" विधायक लखनादीन एवं जिला योजना समिति के माननीय सदस्यों का जिला योजना समिति की बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जिला योजना समिति की बैठक प्रारंभ की गई।

बैठक में संलग्न सूची अनुसार माननीय सदस्य एवं अधिकारी गण उपस्थित रहे। अनुलग्न-1 कलेक्टर/सदस्य सचिव, द्वारा अवगत कराया गया कि एजेण्डा में चर्चा के पूर्व विभागी द्वारा तैयार किया गया पावर प्वाइन्ट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाये।

एजेण्डा क्रमांक-1.

कोड क्रमांक-10122019

विषय- Right to water (सभी के लिये पानी का अधिकार) की समीक्षा।

प्रस्तुतकर्ता- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सिवनी एवं महाप्रबंधक म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिवनी।

संदेपिका - कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड सिवनी द्वारा अवगत कराया गया कि Right to water के अंतर्गत म0प्र0 में समस्त जनता के लिये मौलिक अधिकार के रूप में जल का अधिकार कानून का प्रावधान किया गया है, इसके तहत राज्य के हर नागरिक को पानी मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में पानी का अधिकार कानून लागू हो जाने के पश्चात हर परिवार और व्यक्ति को उसके जरूरत के मुताबिक 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी जरूरी तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री, द्वारा सिवनी जिले में पेयजल व्यवस्था के तहत स्थापित हेण्डपंप, नलजल योजना की जानकारी सदन में

AFW के अंतर्गत।

सर्वोपरि

अंतिम

(C.N.D.)

जल प्रदाय योजना का कार्य दिनांक 29.01.2018 से प्रारंभ हो गया है। इस योजना से विकासखंड सिवनी एवं छपारा के कुल 208 ग्रामों में पेयजल प्रदाय किया जावेगा। योजना की संभावित कार्यपूर्णता 28.01.2020 है। सिद्धघाट सकरीमोर्चा घाट ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना बैनगंगा नदी में निर्मित भीमगढ बांध के जलमराव क्षेत्र को स्रोत मानकर उक्त जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना से विकासखंड धनीरा, केवलारी एवं लखनादीन के कुल 98 ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जावेगा। योजना का कार्य दिनांक 28.03.2017 से प्रारंभ हो गया है एवं संभावित कार्यपूर्णता की तिथि 27.03.2019 थी। संगमघाट ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना ग्राम सरेखा कला के समीप डिर्ही एवं बैनगंगा नदी के संगम के समीप संगमघाट को स्रोत मानते हुये परियोजना कार्य दिनांक 08.06.2018 से प्रारंभ हो गया है। उक्त योजना से विकासखंड केवलारी के कुल 88 ग्रामों में पेयजल प्रदाय किया जावेगा। योजना के संभावित कार्यपूर्णता की तिथि 05.12.2019 थी। पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना नर्मदा नदी (वरगी बांध) के जलमराव क्षेत्र को स्रोत मानते हुये जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनांतर्गत विकासखंड धनीरा के 37 ग्रामों, घंसाँर के 216 एवं लखनादीन के 161 ग्रामों इस प्रकार कुल 414 ग्राम सम्मिलित है। योजना का कार्य दिनांक 04.01.2019 से प्रारंभ हो गया है एवं संभावित कार्यपूर्णता की तिथि 03.07.2021 है।

जिला योजना समिति द्वारा समीक्षा उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया -

जिला योजना समिति का निर्णय क्रमांक-01/10122019-

Spravi

पेयजल योजना हेतु संगठित हेण्डपम् 88 जल योजनाओं के खराब हाल का उल्लेख करके
पर तत्काल सुधार कार्य कराया जाये।
एल विभाग की समूह जल योजनाओं का कार्य मुण्डतापूर्ण एवं समय-सीमा में पूर्ण कराया जाये।
(कार्यवाही- कार्यपालन मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सिवनी एवं महाप्र
ग090 जल विभाग महाप्रदित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिवनी)

एजेण्डा क्रमांक-2

कोड क्रमांक-10122019

विषय- रबी फसल हेतु खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा।

प्रस्तुतकर्ता- उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सिवनी

संक्षेपिका - उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सिवनी द्वारा अवगत कराया गया कि रबी फसल हेतु यूरिया, सुपर फास्फेट, डी.ए.पी, फोटास, एवं अन्य खाद तथा गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, के बीज शासकीय संस्था एवं निजी संस्था भंडारण में उपलब्ध है।

माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्राचीन क्षेत्रों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि जिन किसानों ने अपना कर्ज जमा नहीं किया है इसलिए उन्हें खाद बीज नहीं दिया जा रहा है।

तत्संबंध में प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित राशि में जिन किसानों की कर्जमाफी के लिये सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, ऐसे किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाये। माननीय विधायक, सिवनी द्वारा विकासखंड छपारा के अंतर्गत रामगढ़, छपारा, चमारी सोसायटी एवं माननीय विधायक, केवलारी द्वारा विकासखंड केवलारी अंतर्गत उगली एवं अन्य सोसायटीयों में यूरिया उपलब्ध नहीं है, इन क्षेत्रों में शीघ्र खाद उपलब्ध कराया जाये।

जिला योजना समिति द्वारा समीक्षा उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया -

जिला योजना समिति का निर्णय क्रमांक-02/10122019-

1. विकासखंड छपारा के रामगढ़, छपारा, चमारी सोसायटी में किसानों की मांग अनुसार यूरिया उपलब्ध कराया जाये।
2. विकासखंड केवलारी के उगली एवं अन्य सोसायटीयों में भी किसानों की मांग अनुसार यूरिया उपलब्ध कराया जाये।
3. जिले में रबी फसल के लिए गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, के बीज पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर आवश्यकतानुसार किसानों को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही- उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सिवनी)

एजेण्डा क्रमांक-3

कोड क्रमांक-10122019

विषय- जिले में सिंचाई की स्थिति की समीक्षा।

प्रस्तुतकर्ता- कार्यपालन मंत्री, जल संसाधन संभाग-1 सिवनी

संक्षेपिका - कार्यपालन मंत्री, जल संसाधन संभाग-1 सिवनी द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 के अधीन 4 मध्यम तथा 64 लघु परियोजनाओं तिलवारा, बायी तट नहर संभाग केवलारी के अधीन एक बृहद संजय सरोवर परियोजना 2 मध्यम एवं 1 लघु सिंचाई योजना से एवं पंच व्यापवर्तन बृहद सिंचाई परियोजना से सिवनी जिले में दो केनाल के माध्यम से सिंचाई होती है। रबी फसल हेतु उक्त परियोजनाओं एवं केनालों से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध है। माननीय विधायक, केवलारी द्वारा अवगत कराया गया कि भीमगढ़ बांध के केनालों से टैंक तक पानी नहीं पहुंचने के कारण विकासखंड केवलारी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता। श्री जयकेश सिंह ठाकुर, सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड छपारा के ग्राम तिन्सा में स्वीकृत टैंक(बांध) स्टेज-1 का वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने से कार्य बंद है। श्रीमती दयावती सल्लाम सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड धनौरा के ग्राम राकरी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है लिफ्ट ऐरिक्शन के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाये। श्री देवेन्द्र जैन, सांसद प्रतिनिधि मंडला द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड घंसीर के ग्राम निचली में 2 वर्ष पूर्व लिफ्ट ऐरिक्शन चालू था, सिंचाई विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। उसे पुनः चालू कराया जाये। माननीय विधायक सिवनी द्वारा पंच व्यापवर्तन बृहद सिंचाई

तत्संबंध में माननीय प्रगारी मंत्री महोदय, 89 जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सिवनी

जिला योजना समिति द्वारा समीक्षा उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया -

परियोजना से सिवनी जिले के मेंन केनाल (काडा) की जांच अन्य विभागों के तकनीकी अधिकारियों से कराई जाने की मांग की गई है।

जिला योजना समिति का निर्णय क्रमांक-02/10122019-

1. रबी फसल की सिंचाई हेतु जिले के माननीय विभागों की उपस्थिति में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाये।
2. भीमगढ बांध की केनालों से विस्तारों को सिंचाई हेतु आशयक्तानुसार पानी उपलब्ध कराया जाये।
3. विकासखंड छपारा के ग्राम तिन्सा में स्वीकृत टैंक(बांध) स्टेज-1 का वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाये।
4. विकासखंड धनौरा के ग्राम सकरी में लिफ्ट ऐरिक्शन के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विभागों के नियम निर्देशों के तहत शाध्यता का परीक्षण कर प्रस्ताव शारान को प्रेषित किया जाये।
5. विकासखंड घंसौर के ग्राम निचली में बंद लिफ्ट ऐरिक्शन को विभाग के नियम निर्देशों के तहत परीक्षण कर चालू कराया जाये।
6. पंच व्यापवर्तन वृहद सिंचाई परियोजना से सिवनी जिले के मेंन केनाल (काडा) की जांच अन्य विभागों के तकनीकी अधिकारियों से कराई जाये।

(कार्यवाही - कार्य, यंत्री, जल संसाधन संभाग सिवनी, कार्य, यंत्री, तिलवारा

वायी टाट, नहर संभाग केवलारी एवं पंच व्यापवर्तन वृहद सिंचाई परियोजना नहर सिवनी, वनमंडलाधिकारि, उत्तर (सामान्य) सिवनी)

एजेण्डा क्रमांक-4

कोड क्रमांक-10122019

विषय- विद्युत विभाग की समीक्षा।

प्रस्तुतकर्ता- अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.), वृत्त म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. सिवनी

संक्षेपिका - अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.), वृत्त म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. सिवनी द्वारा सदन में अवगत कराया गया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में लागू विद्युत प्रदाय समय-सारणी अनुसार किसानों को ग्रुप-अ. के अनुसार 24 घंटे में से 2 पार्ट में 4 घंटे समय रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक एवं 6 घंटे प्रातः 6 बजे से दोप. 12 बजे तक एवं ग्रुप-ब, अनुसार 4 घंटे रात्रि 2 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं 6 घंटे दोप. 12 बजे से सायं 6 बजे तक जिले में प्रति सप्ताह ग्रुप परिवर्तन कर विजली उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान अनुसार कुल 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जाता है। माननीय श्री राकेश पाल सिंह विधायक, केवलारी एवं सदस्य श्रीमती उषा दयाल पटेल, / श्रीमती दयावती सल्लाम, सदस्य द्वारा भी अवगत कराया गया कि केवलारी, धनौरा क्षेत्र में 4-5 घंटे विजली की आपूर्ति की जाती है। माननीय विधायक, केवलारी द्वारा ग्राम छीदा, ग्वारी माननीय विधायक, सिवनी द्वारा ग्राम चारगांव, फुलारा, मरझोर एवं श्री जयकेश सिंह, सदस्य द्वारा ग्राम अकलमा एवं श्रीमती रैनवती मानेश्वर, सदस्य द्वारा खैरेशिकारा, गुंगवारा, (गनेशगंज) श्रीमती उषा दयाल पटेल द्वारा ग्राम विछुआ, मैरा, खैरापलारी के ओवरलोड ट्रांसफार्मर बदले जाने हेतु अवगत कराया गया। श्री वीरेन्द्रराज सिंह, सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड केवलारी के अंतर्गत वनग्राम, रतनपुर, कोपीझोला, सुआटकदुआ, गरर्जई, पण्डरापानी में विद्युत आपूर्ति हेतु क्षमताविहीन केबल लगाने से विद्युत आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। माननीय विधायक, सिवनी द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड सिवनी के ग्राम भंडवा, किसनपुर, जैतपुर में विद्युत पोल गिर गये हैं। श्री जयकेश सिंह, सदस्य द्वारा ग्राम चमारी में पदस्थ लाईनमैन को अन्यत्र फीडर पर स्थानांतरित करने हेतु अवगत कराया गया। श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड घंसौर के गढजमुनिया में बंद केबल से विद्युत आपूर्ति की जाती है, केबल जल जाने के कारण 4 माह से विद्युत आपूर्ति बंद है।

जिला योजना समिति द्वारा समीक्षा उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया -

जिला योजना समिति का निर्णय क्रमांक-04/10122019-

1. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. द्वारा निर्धारित समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विजली प्रदाय किया जाये।

Signature

2. विकासखण्ड केवलारी के अंतर्गत ग्राम ⁹⁰ ग्वारी, विष्णुआ, मेरा, खौरापलारी, विकासखंड सिवनी के ग्राम धारगाव, फुलारा, गरझोर विकासखंड छपारा के ग्राम अकलमा, विकासखंड लखनादीन के ग्राम खौरेशिकारा, गुंगवारा के ओवरलोड ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति प्रदाय की जाये।
3. विकासखण्ड केवलारी के अंतर्गत वनग्राम, रतनपुर, कोपीझोला, सुआटकटुआ, गरजई, पण्डरा गुणवत्ता पूर्ण केबल लगाकर विद्युत आपूर्ति की जाये।
4. विकासखंड छपारा के ग्राम चमारी में पदरथ लाईनमैन को अन्यत्र फीडर पर स्थानांतरित किया जाये।
5. विकासखंड सिवनी के ग्राम मंडवा, किस्सनपुर, जैतपुर में गिरे हुये विद्युत पोल को तत्काल सुधार कार्य किया जाये।
6. विकासखंड घंसौर के गढजमुनिया में गुणवत्ता पूर्ण केबल लगाकर विद्युत आपूर्ति की जाये।
(कार्यवाही- अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.), वृत्त म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. सिवनी)

अन्य बिन्दु :-

कोड क्रमांक-10122019

1-महामाया वार्ड में संचालित उचित मूल्य की दूकान(प्राथमिक उपभोक्ता भंडार)की जांच करने के संबंध में :- माननीय अध्यक्ष/प्रभारी मंत्री, महोदय के सिवनी भ्रमण के दौरान महामाया वार्ड में संचालित उचित मूल्य की दूकान (प्राथमिक उपभोक्ता भंडार) का निरीक्षण के समय दूकान बंद पाया गया एवं दूकान खुलने / बंद होने के समय का सूचना पटल भी नहीं लगा था । दूकान संचालक को बुलाकर दूकान खुलवाकर उपभोक्ताओं को वितरण की जा रही राशन सामग्री का अवलोकन किया गया जिसमें बहुत ही खराब किस्म के चावल पाया गया । माननीय मंत्री महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा अधिक कीमत पर चावल/गेहू खरीदकर उचित मूल्य की दूकानों से उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया जा रहा है तो इस उचित मूल्य की दूकान में कहा से बहुत की खराब चावल का भंडारण किया गया है।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा निर्देशित किया गया कि महामाया वार्ड में संचालित उचित मूल्य की दूकान का जिला आपूर्ति अधिकारी से सूक्ष्मता से जांच कराया जाकर उचित मूल्य की दूकान के संचालक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही - जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी)

2 -विकासखंड घंसौर के ग्राम रमपुरी में मनरेगा स्वीकृत तालाब निर्माण के संबंध में:- श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत/ सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत काराया गया कि विकासखंड घंसौर के अंतर्गत ग्राम रमपुरी में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत तालाब निर्माण स्टेज-1 का कार्य वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण प्रारंभ नहीं हो पाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वनमंडलाधिकारी उत्तर(सामान्य) को निर्देशित किया कि विभाग के नियम निर्देशों के तहत परीक्षण कर स्वीकृत तालाब निर्माण के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय करे।

(कार्यवाही - (वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सामान्य) सिवनी/ कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संग्राम सिवनी)

3- विकासखंड धनौरा, ग्राम ग्वारी के धार्मिक स्थान रिछारिया बाबा मेला स्थल एवं विकासखंड केवलारी के वैनगंगा हिरी संगम को पर्यटन स्थल घोषित कर सौंदर्यीकरण किये जाने के संबंध में :- श्रीमती दयावती सल्लाम, एवं श्री वीरेन्द्रराज सिंह, सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड धनौरा ग्राम ग्वारी के धार्मिक स्थान रिछारिया बाबा मेला स्थल एवं विकासखंड केवलारी के वैनगंगा हिरी संगम को पर्यटन स्थल घोषित कर सौंदर्यीकरण किये जाने की कार्यवाही की जाये।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

(कार्यवाही -(प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग भोपाल)

4- विकासखंड सिवनी शासकीय प्राथमिक शाला भवन चीचबंद के भवन निर्माण के संबंध में :-श्रीमती सरिता धनश्याम सनोडिया सदस्य जिला योजना समिति सिवनी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम चीचबंद में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला भवन जीर्णोद्धार/खराब स्थिति में है, नये भवन की आवश्यकता है।

Signature

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सिवनी को निर्देशित किया गया कि नये भवन निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जायें।
(कार्यवाही - जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सिवनी)

शासकीय शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय खैररांजी में पदस्थ उच्च. माध्य. शिक्षक को अन्यत्र विद्यालय में स्थानांतरित करने के संबंध में :- माननीय श्री राकेश पाल, विधायक केवलारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड केवलारी के शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय खैररांजी में कामर्स विषय संचालित नहीं है। विद्यालय में पदस्थ श्री पवन राय उच्च. माध्य. शिक्षक को अन्यत्र विद्यालय में स्थानांतरित किया जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी को निर्देशित किया गया कि शासन की स्थानांतरण नीति अनुसार अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जायें।
(कार्यवाही-जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी)

6- पुराने आर.टी.ओ.आफिस बारापत्थर सिवनी एवं ग्राम कान्हीवाडा में संचालित शराब दुकान अन्यत्र स्थानांतरित करने के संबंध में :- माननीय श्री राकेश पाल, विधायक केवलारी द्वारा अवगत कराया गया कि पुराने आर.टी.ओ.आफिस बारापत्थर सिवनी एवं ग्राम कान्हीवाडा में संचालित शराब दुकान रहवासी क्षेत्र एवं नियम निर्देशों के तहत कम दूरी पर संचालित हो रही है इन्हे तत्काल अन्यत्र जगह स्थानांतरित किया जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा जिला आवकारी अधिकारी, सिवनी को निर्देशित किया गया कि शासन की नीति अनुसार स्थल निरीक्षण उपरांत नियमानुसार अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जायें।
(कार्यवाही-जिला आवकारी अधिकारी, सिवनी)

7- दलसागर तालाब के टापू में राजा दलपतशाह मूर्ति स्थापना हेतु स्टेच्यू निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के संबंध में :- श्री अशोक सिरसाम, सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि सिवनी नगर के हृदय स्थल दलसागर तालाब का निर्माण राजा दलपतशाह द्वारा कराया गया है। माननीय विधायक सिवनी द्वारा दलसागर तालाब के टापू में राजा दलपतशाह मूर्ति स्थापना हेतु स्टेच्यू निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिये विधायक निधि से राशि रु. 20 लाख देने की सहमति दी गई है। सदन में चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सिवनी को निर्देशित किया गया कि प्रतिमा स्थापना हेतु उपर्युक्त स्थल का चयन कर स्टेच्यू निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिये आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सिवनी/जिला योजना अधिकारी, सिवनी)

8- रूखड में एम.पी.टी. द्वारा संचालित वायसन ट्रीट रेस्टारेंट को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में :- माननीय श्री राकेश पाल, विधायक केवलारी द्वारा अवगत कराया गया कि रूखड में एम.पी.टी. द्वारा संचालित वायसन ट्रीट रेस्टारेंट मोहगांव से खवासा फोरलेन निर्माण प्रारंभ होने से रेस्टारेंट बंद है, उक्त रेस्टारेंट को पुनः प्रारंभ कराकर एम.पी.टी. द्वारा ही संचालित करवाने की कार्यवाही की जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा जिला उप संचालक, पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार रूखड में संचालित वायसन ट्रीट रेस्टारेंट को पुनः प्रारंभ करने की कार्यवाही की जायें।
(कार्यवाही- उप संचालक, पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी)

9- ग्राम खैररांजी से सुन्हैरा मार्ग पर ग्राम खापा के पास पुल निर्माण के संबंध में :- श्रीमती उषा दयाल पटेल, सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम खैररांजी से सुन्हैरा मार्ग पर ग्राम खापा के पास पुल नहीं होने से क्षेत्र के लगभग 12 ग्रामों का आवगमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये ग्राम खैररांजी से सुन्हैरा मार्ग पर ग्राम खापा के पास पुल निर्माण कराया जायें।
तत्संबंध में, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग सिवनी को निर्देशित किया गया कि नियम निर्देशों के तहत साध्यता का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को भेजा जायें।
(कार्यवाही- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग सिवनी)

10- ग्राम अलोनी खापा रैयत से सिवनी मंडला मार्ग (चौरापाठा) तक सडक निर्माण के संबंध में :- श्रीमती उपा दयाल पटेल, सदस्य जिला योजना समिति, द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम अलोनी खापा रैयत से सिवनी मंडला मार्ग (चौरापाठा) तक कच्ची सडक है, मार्ग अत्यधिक खराब होने के कारण क्षेत्र के लगभग 20 ग्रामों के ग्रामवासियों को प्रतिदिन मुख्यालय केवलारी एवं नैनपुर आने-जाने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पडता है। अतः ग्राम अलोनी खापा रैयत से सिवनी मंडला मार्ग (चौरापाठा) तक सडक निर्माण कराया जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (म/स) सिवनी को निर्देशित किया गया कि नियम निर्देशों के तहत साध्यता का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को भेजा जायें।

(कार्यवाही- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (म/स) सिवनी)

11- ग्राम पंचायत अलोनी खापा अन्तर्गत ग्राम अलोनी खापा रैयत में गौशाला निर्माण के संबंध में :- श्रीमती उपा दयाल पटेल, सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत अलोनी खापा अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम अलोनी खापा रैयत में गौशाला निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि है उक्त भूमि में गौशाला निर्माण हेतु अभिलेख जनपद पंचायत केवलारी में जमा किया जा चुका है।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी को को निर्देशित किया गया कि नियम निर्देशों के तहत साध्यता का परीक्षण कर गौशाला निर्माण की कार्यवाही जायें।

(कार्यवाही- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी)

12- शासकीय महाविद्यालय घंसौर के परिसर की बाउन्ड्रीवाल निर्माण के संबंध में :- माननीय श्री योगेन्द्र सिंह, "बाबा" विधायक लखनादौन द्वारा शासकीय महाविद्यालय घंसौर के परिसर की बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लखनादौन को प्राप्त आवंटन से कराये जाने अवगत कराया गया।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लखनादौन को निर्देशित किया गया कि नियम निर्देशों के तहत साध्यता का परीक्षण कर बाउन्ड्रीवाल निर्माण की कार्यवाही जायें।

(कार्यवाही- परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लखनादौन)

13- बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने के संबंध में :- माननीय श्री योगेन्द्र सिंह, "बाबा" विधायक लखनादौन द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड धनौरा के प्राथ./माध्य. शाला घोघरी माल, जामुनपानी, ग्वारी, में बाउन्ड्रीवाल एवं ग्राम कोडरा प्रा.शा. में अतिरिक्त कक्ष विकास खंड लखनादौन अंतर्गत प्राथ./माध्य. शाला खमरियागोसाई, घूरवाडा, उकारपार, पाठादेवरी, घोघरीनांगन, बंजर, जामुनपानी, बगलई में बाउन्ड्रीवाल विकासखंड घंसौर अंतर्गत प्राथ./माध्य. शाला कहानी, गंगपुर, सालहेपानी, मानेगांव, बरेली, बरगांव, बंजर में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने अवगत कराया गया।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सिवनी को निर्देशित किया गया कि नियम निर्देशों के तहत साध्यता का परीक्षण कर बाउन्ड्रीवाल निर्माण की कार्यवाही की जायें

(कार्यवाही -जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सिवनी)

14- जय किसान फसल ऋण माफी योजना में छूटे किसानों के ऋण प्रकरण निराकरण के संबंध में :- माननीय श्री योगेन्द्र सिंह, "बाबा" विधायक लखनादौन द्वारा सहकारी समिति नागनदेवरी के अंतर्गत जय किसान फसल ऋण माफी योजना में छूटे ग्राम सिल्वनी के किसान जगत/धोबीलाल, हिम्मतसिंह/मंगलसिंह, डगरूलाल/धन्नीसिंह चम्मालाल/मंगलसिंह, धनीराम/चम्मालाल, मंगलसिंह/वतनसिंह, जगनसिंह/वतनसिंह, नन्हेलाल/वतनसिंह, जोहरीलाल/हजारी, ओझालाल/बसोरी, खित्तूलाल/प्रेमसिंह, पुरुषोत्तम/गुलबी, गोलेसिंह/माधू, भोला/धनश्याम, रूपलाल/फूलसिंह, उमराव/भवानी, सुरमन/शिवचरन, गिरानी/चेतू, दम्माबाई/बलमत, लालजी/बखतसिंह, बालजी/बखतसिंह, मुराली/मदनसिंह, शोबसिंह/मानकलाल, भेजलाल/भेरसिंह, टीकाराम/छट्टम, दौलतसिंह/बलजोर के ऋण प्रकरण का निराकरण कराये जाने के

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भवनी को निर्देशित किया गया कि नियम निर्देशों के तहत परीक्षण कर जय किसान फसल त्रुटण माफी जना में छूटे किसानों के त्रुटण माफी की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सिवनी/
महा प्रबंधक जिला संहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सिवनी)

15- शासकीय कन्या उच्च.माध्य. विद्यालय लखनादौन का नामकरण अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी शासकीय कन्या उच्च.माध्य. विद्यालय लखनादौन करने के संबंध में :- माननीय श्री योगेन्द्र सिंह, "बाबा" विधायक लखनादौन द्वारा शासकीय कन्या उच्च.माध्य. विद्यालय लखनादौन का नामकरण अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी शासकीय कन्या उच्च.माध्य. विद्यालय लखनादौन करने के संबंध में अवगत कराया गया।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सिवनी को निर्देशित किया गया कि राज्य शासन के नियम निर्देशों के तहत नामकरण की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सिवनी)

16- अधोसंरचना मद (जिला पंचायत) की राशि के आहरण पर लगी रोक हटाये जाने के संबंध में :- श्रीमती मीना बिसेन, अध्यक्ष जिला पंचायत एवं सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत अधोसंरचना मद की राशि जिले में आने के बावजूद भी आहरण पर रोक लगा दी गई है। राशि आहरण में रोक लगने के कारण जिला एवं जनपद के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे हैं। अतः शीघ्र आहरण पर रोक हटाई जाये।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी को निर्देशित किया गया कि राज्य शासन के नियम निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी) .

17- सुदूर संपर्क ग्राम सड़क योजना के बंधनकारी आदेश हटाये जाने के संबंध में :- श्रीमती मीना बिसेन, अध्यक्ष जिला पंचायत एवं सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सुदूर संपर्क ग्राम सड़क योजना के तहत शमशान घाट, स्कूल एवं अस्पताल पहुंच मार्ग के निर्माण के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश जारी होने के उपरांत भी ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसे शिथिल कर गांव से गांव जोड़ने की सड़क निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की जाये।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी को निर्देशित किया गया कि राज्य शासन के नियम निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी)

18- नवीन पेयजल टंकी निर्माण स्वीकृत करने के संबंध में :- श्रीमती मीना बिसेन, अध्यक्ष जिला पंचायत एवं सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत गंगेरूआ (धपारा) में पेयजल समस्या को दूर करने के लिये वार्ड क्रमांक 14, 15, 16 में नवीन पेयजल टंकी निर्माण कराया जाये।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सिवनी को निर्देशित किया गया कि शासन के नियम निर्देशों के तहत साध्यता का परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सिवनी)

19- शासकीय हाईस्कूल / हायर सेकेन्ड्री स्कूल भवन निर्माण के संबंध में :- श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत / सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड धंसौर के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल बगदरी, शासकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल मेहता एवं कहानी के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सिवनी को निर्देशित किया गया कि विभाग के नियम निर्देशों के तहत भवन निर्माण के प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सिवनी)

20- शासकीय हायर सेकेंड्री स्कूल में कृषि संकाय एवं शासकीय हाईस्कूल उन्नयन के संबंध में :- श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत/ सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड घंसीर के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंड्री स्कूल उत्कृष्ट घंसीर, कन्या घंसीर, गोरखपुर एवं कन्या घंसीर में कृषि संकाय खोले जाने तथा शासकीय हाईस्कूल बरेला, कन्या कहानी एवं खनरिया बाजार को हायर सेकेंड्री स्कूल उन्नयन के प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सिवनी को निर्देशित किया गया कि विभाग के नियम निर्देशो के तहत परीक्षण कर प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जायें।

(कार्यवाही- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सिवनी)

21- तहसील घंसीर में स्थानीय नागरिकों की सुविधा हेतु उप कोषालय, एवं उप पंजीयक,(मुद्रांक) कार्यालय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की नवीन शाखा खोले जाने के संबंध में :- श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत/ सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड/तहसील मुख्यालय घंसीर में उप कोषालय, एवं उप पंजीयक ,(मुद्रांक) कार्यालय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की नवीन शाखा खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजे जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा जिला कोषालय अधिकारी, जिला पंजीयक,(मुद्रांक) एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सिवनी को निर्देशित किया गया कि विभाग के नियम निर्देशो के तहत साध्यता का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायें।

(कार्यवाही- जिला कोषालय अधिकारी, जिला पंजीयक,(मुद्रांक) एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सिवनी)

22- झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर.अंतर्गत किये गये कार्य में व्यय की गई राशि के संबंध में :- श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत/ सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड घंसीर के विनेकी कला, बरेला एवं गोरखपुर ग्राम पंचायतों में झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर.अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2008 से 10 दिसम्बर 2019 तक जो कार्य किये गये हैं, उनमें व्यय की गई राशि कंपनी द्वारा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत की गई है उसकी सूची आगामी जिला योजना समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा प्रबंधक, झाबुआ पावर लिमिटेड/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसीर को निर्देशित किया गया कि उल्लेखित ग्राम पंचायतों में उपरोक्त अवधि में किये गये कार्य एवं व्यय की गई राशि की जानकारी आगामी जिला योजना समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायें।

(कार्यवाही- प्रबंधक, झाबुआ पावर लिमिटेड/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसीर)

23-जिला पंचायत सिवनी में पदस्थ संविदा अधिकारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के संबंध में :- श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत/ सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत सिवनी में 5 वर्ष से अधिक समय, से पदस्थ संविदा अधिकारियों को सिवनी जिला से अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी को निर्देशित किया गया कि राज्य शासन के नियम निर्देशो के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी)

24- जनभागीदारी योजनातर्गत कार्य स्वीकृत करने के संबंध में :- श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत/ सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड मुख्यालय ग्राम पंचायत घंसीर, कहानी एवं मेंहता में जनभागीदारी योजना से मोक्षधाम सौंदर्यीकरण, जीणीद्वार, यात्रिप्रतिक्षालय आदि कार्य स्थानीय आवश्यकतानुसार स्वीकृत किया जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा , जिला योजना अधिकारी, सिवनी को निर्देशित किया गया कि नियम निर्देशो के तहत स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही- जिला योजना अधिकारी, सिवनी)

Chandra
- 8 -

25-हेडपंप खनन के संबंध में :- श्री बीरेन्द्रराज सिंह, सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड केवलारी के ग्राम पंचायत बिभारी वार्ड कमांक-4, ग्राम पंचायत पांडिया छपारा मोक्षधाम के पास, योगेश के घर के पास वार्ड कमांक-11, ग्राम पंचायत बनाथर में हनुमान मंदिर के पास एवं गुरेरा रैथत, ग्राम पंचायत दुरैदा के ग्राम बाकल में आंगनवाड़ी भवन के पास एवं ग्राम पंचायत उगली में कब्रिस्तान ईदगाह के पास ग्रामवासियों की सुविधा हेतु हेडपंप खनन कराया जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सिवनी को निर्देशित किया गया कि शासन के नियम निर्देशों के तहत साध्यता का परीक्षण कर कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सिवनी)

26- वन अधिकार पत्र प्रदाय करने के संबंध में :- श्री बीरेन्द्रराज सिंह, सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखंड केवलारी के ग्राम पंचायत सरेखाकला अंतर्गत अनुसूचित जंगजाति एवं अन्य वन भूमि पर पूर्व से तीन पीढियों से काबिज कृषि कार्य कर रहे कृषक बालकराम/अजबलाल, बलराम/चन्दुलाल, भानमोती/श्रीलाल, अरविद/भोमाराम, पवनसिंह/द्वाराकासिंह, संतलाल/चमरू, संजय/लखनलाल, ब्रजलाल/नारायण, जगदीश/ मुनबराम, बलीराम/रोशनलाल, राजराम/चमरू हैं, जिन्हें ग्राम वन समिति के माध्यम से वन अधिकार पत्र प्रदाय संबंधि कार्यवाही की गई थी, किन्तु आज दिनांक तक वन अधिकार पत्र प्रदाय नहीं किये गये हैं। वन अधिकार पत्र प्रदाय किये जायें।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा वनमंडलाधिकारी, दक्षिण (सामान्य) सिवनी/ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सिवनी को निर्देशित किया गया कि शासन के नियम निर्देशों के तहत परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही- वनमंडलाधिकारी, दक्षिण (सामान्य) सिवनी /सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सिवनी)

27- धान खरीदी केन्द्र के संबंध में :- श्री अनिल चौरसिया, सदस्य जिला योजना समिति द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम छुई में धान खरीदी केन्द्र निर्धारित है जबकि छुई धान खरीदी केन्द्र के नाम से ग्राम मानेगांव में धान खरीदा जा रहा है।

तत्संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, द्वारा जिला खाद्य अधिकारी एवं जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम सिवनी, को निर्देशित किया गया कि शासन के नियम निर्देशों के तहत परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही- जिला खाद्य अधिकारी एवं जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम सिवनी)

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक के अंत में जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की पावती देवे उनके पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित समयावधि में पत्रों का उत्तर देदे शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा जोहादपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, जिला योजना समिति द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय की मंशा अनुसार जिला योजना समिति में जितनी गंभीरता से निर्णय लेते हैं उसी के अनुरूप अधिकारियों को बैठक में पूरी तैयारी के साथ आना चाहिये। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों तथा जिला योजना समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें।

जिला योजना अधिकारी, द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय विधायक गण एवं उपस्थित सभी माननीय जिला योजना समिति के सदस्यों, अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(सुखदेव पांसे)
मंत्री, म.प्र.शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
एवं प्रभारी मंत्री सिवनी

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं सदस्य सचिव
जिला योजना समिति, सिवनी

(एस.आर.मेरावी)
जिला योजना अधिकारी
जिला सिवनी

पृ.क्रमांक/542/जियोस/वैठक/2020
प्रतिलिपि-

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 2. निज सचिव, माननीय श्री सुखदेव पांसे, मंत्री, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रगरी मंत्री जिला-सिवनी, की ओर सूचनार्थ।
 3. निज सचिव, मान. सांसद महोदय----- ओर सूचनार्थ।
 4. अध्यक्ष, जिला पंचायत सिवनी की ओर सूचनार्थ।
 5. माननीय श्री -----विधायक, विधान सभा क्षेत्र----- की ओर सूचनार्थ।
 6. माननीय----- सदस्य जिला योजना समिति, की ओर सूचनार्थ।
 7. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 8. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ।
 9. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर को सूचनार्थ।
- कार्यालय प्रमुख सुखदेव पांसे, जिला-सिवनी पालन प्रतिवेदन
7 दिवस के अंदर जिला जिला योजना समिति सिवनी को भेजना सुनिश्चित करें।

(51) 10
✓
Sivani
07/03/20
जिला योजना अधिकारी,
जिला सिवनी

अनुलग्न-1

सांसद गण

- माननीय श्री सुखदेव पांसे ,मंत्री, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रभारी मंत्री
जिला-सिवनी,
2. माननीय श्री अर्जुन सिंह काकोडिया विधायक, विधानसभा क्षेत्र-वरघाट
 3. माननीय श्री दिनेश राय "मुनमुन" विधायक, विधानसभा क्षेत्र-सिवनी
 4. माननीय श्री राकेशपाल सिंह विधायक, विधानसभा क्षेत्र-केवलारी,
 5. माननीय श्री योगेन्द्र सिंह "बाबा"विधायक, विधानसभा क्षेत्र-लखनादौन,
 6. माननीय श्रीमति मीना विसेन, अध्यक्ष जिला पंचायत सिवनी
 7. माननीय श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं सदस्य जिला योजना समिति,
 8. माननीय श्रीमती सरिता घनश्याम सनोडिया, सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 9. माननीय श्री अशोक सिरसाम, सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 10. माननीया श्रीमती, उपादयाल पटेल सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 11. माननीय श्री विरेन्द्रराज सिंह, सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 12. माननीय श्री जयकेश सिंह, सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 13. माननीय श्री रंगलाल धुर्वे, सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 14. माननीया श्रीमती रैनवती मानेश्वर, सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 15. माननीया श्रीमती दयावती सत्त्ताम मानेश्वर, सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 16. माननीय श्री अनिल चौरसिया सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी,
 17. माननीय श्री संतोष(नानू) पंचवानी सदस्य, जिला योजना समिति, सिवनी
 18. माननीय श्री देवेन्द्र जैन सांसद प्रतिनिधि(मंडला लोकसभा क्षेत्र)

अधिकारी गण -

19. श्री प्रवीण सिंह, कलेक्टर सिवनी
20. श्री कमलेश कुमार खरपूसे, अति.पुलिस अधीक्षक, सिवनी,
21. श्री सुनील दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी
22. श्री एस. आर. यमदे, अधीक्षण यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., सिवनी,
23. श्री रीता मर्सकोले, सहा.आपूर्ति अधिकारी सिवनी,
24. श्री एस.के. उपाध्याय, प्रबंधक म.प्र.वेयर हाउस सिवनी,
25. श्री अविनाश त्रिपाठी, सहायक यंत्री हाउसिंग बोर्ड सिवनी,
26. शैलेन्द्र सिंह, निरीक्षक नापतौल सिवनी,
27. उपा चौधरी, कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से.संभाग सिवनी,
28. श्रीमती लक्ष्मी धुर्वे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास, सिवनी,
29. श्री पी.सी.गंहाजन, कार्य.यंत्री तिलवारा बायोलेट नहर केवलारी,
30. श्री व्ही. के.बोरकर, क्षेत्र संयोजक, आदि.जनजाति कार्य विभाग, सिवनी,
31. श्री मनमोहन भेसराम, परियोजना प्रशासक कुरई/लखनादौन
32. श्री के.एल.मरावी, उपसंचालक मत्स्य विभाग सिवनी
33. श्री एस.के.दुबे, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड सिवनी
34. श्री राजेश वेलवंशी, ई.ई. (एम.पी.ई.सी.), लखनादौन,
35. श्री एम.ए. कुरैशी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड सिवनी
36. श्री दीपक आडे, सहायक महाप्रबंधक, एम.पी.आर.आर.डी.सी. सिवनी/छिंदवाडा
37. श्री उमेश शुक्ला, जिला पंजीयक मुदांक सिवनी,
38. श्री के.आर.कौरी, उपायुक्त सहकारिता सिवनी,
39. श्री पी.के. अग्रवाल, संभागीय परियोजना यंत्री पीआईसू लो.नि.वि.सिवनी,
40. श्री एस.के. धुर्वे, उपसंचालक, कृषि सिवनी,
41. श्री पी.एन.नाग, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग-1 सिवनी,
42. श्री जी.एस.चपेल, जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी,
43. श्री ए.के.तिगारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सिवनी,
44. सुश्री आशालता वैद्य, जिला खनिज अधिकारी, सिवनी,
45. श्री आर.वी.पटेल, सहायक संचालक, उद्यानिकी विभाग सिवनी,

46. श्री एल.के.जरिया, जिला प्रबंधक नागरिक पूर्ति निगम सिवनी.
47. श्री अभिषेक रनधावा, प्रबंधक म.प्र.जल निगम मर्यादित सिवनी.
48. श्री अजय सिंह रंघुवंशी, महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रा.स.योजना इकाई-1 सिवनी
49. श्री पी.पी. टिटारे, वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल, सिवनी,
50. श्री प्रदीप मिश्रा, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, सिवनी
51. श्री रेवेन्द्र ठाकुर, सहायक परियोजना समन्वयक जि.शि.केन्द्र सिवनी,
52. श्री गणेश नामदेव, सहायक परियोजना समन्वयक जि.शि.केन्द्र सिवनी
53. श्री संजय बाधवा, महा प्रबंधक, म.प्र.जल निगम मर्यादित जबलपुर,
54. श्री कुलदीप कहार, महा प्रबंधक, म.प्र.जल निगम मर्यादित सिवनी,
55. श्री बसंत कुमार वेलवंशी, प्रबंधक, म.प्र.जल निगम मर्यादित सिवनी,
56. श्री हसन गोहिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी सिवनी.
57. श्री अनुराग पाठक, आत्मा कृषि विभाग सिवनी,
58. डां. के.आर.शाक्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी,
59. डां. वाय. के माथुर, जिला आयुष अधिकारी सिवनी
60. श्रीमती पलकं तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी वि./यां. सिवनी
61. श्री नितेश कुमार सूर्यवंशी, अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.सिवनी,
62. श्री एस.एस. परतेती, अधीक्षक भू-अभिलेख., सिवनी,
63. श्री डी.के.वरकडे, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र सिवनी
64. श्री बीरेश बघेल, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण सिवनी
65. श्री कामता बघेल मुख्य नगरपालिका अधिकारी लखनादौन,
66. श्री योगेन्द्र कुमार, नगर पालिका लखनादौन,
67. श्री बाजीराम इनवाती, सहायक राजस्व निरीक्षक त.प.बरघाट

MAGNIFICENT
MP

कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) जिला सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक / जियोस / वि.नि. / 2020

सिवनी, दिनांक 04.01.2020

कमाक
पति,
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सिवनी

विषय: विधायक निधि से अनुशसित कार्य के प्राकवलन प्रस्तुत करन बाबद।

—00—

विषयवार्त माननीय श्री दिनेश राय, विधायक सिवनी द्वारा वर्ष 2019-20 की विधायक निधि से दलसागर तालाब के टापू में राजा दलपतशाह की प्रतिमा स्थापना हेतु स्टेचू निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिये विधायक निधि से रु. 20.00 लाख स्वीकृत करने की सहमति दी गई है। माननीय श्री सुखदेव पांसे, मंत्री, मध्य शासन स्वीकृति विभाग एवं प्रभारी मंत्री जिला सिवनी की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2019 को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में दलसागर तालाब के टापू में राजा दलपतशाह की प्रतिमा स्थापना हेतु स्टेचू निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिये सर्वसम्मति से निर्णय उपरांत संकल्प पारित किया गया है।

उक्त दलसागर तालाब के टापू में राजा दलपतशाह की प्रतिमा स्थापना हेतु स्टेचू निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के प्राकवलन, तकनीकी स्वीकृति, ड्राईंग डिजाईन सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कदम करे। ताकि प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।

पृ क्र / जियोस / वि.नि. / 2020
प्रतिस्ति:-

निज सहायक, माननीय विकासक, महादय विधानसभा क्षेत्र सिवनी को आंर सूचनार्थ प्रेषित।

449
17/01/2020
जिला योजना अधिकारी
जिला सिवनी
सिवनी, दिनांक 04.01.2020

sdh
जिला योजना अधिकारी
जिला सिवनी

AC (P.W.)
[Signature]

निपासे जी / निर्मलशर्मा
[Signature]

कार्यालय मुख्य
नगर प
Email Id : cmosc

100

अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला-सिवनी
न.एच.7 मार्ग, जिला-सिवनी (म.प्र.) 480661
Phone : 07692221301

R-3

पत्र क्रमांक / 5218 / लो.क.वि. / न.पा.प. / 2020

सिवनी, दिनांक / 28/2 / 2020

प्रति,

जिला योजना अधिकारी,
सिवनी (म0प्र0)

विषय :- विधायक निधि से अनुशंसित कार्य के प्राक्कलन प्रस्तुत करने बावत् ।


संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / 42 / जि.ओ.स. / वि.नि. / 2020 सिवनी दिनांक 04 / 01 / 2020

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि, माननीय श्री दिनेश राय विधायक सिवनी द्वारा वर्ष 2019-20 की विधायक निधि से दलसागर के टापू में राजा दलपतशाह की प्रतिमा स्थापना हेतु स्टेचू निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य के लिये विधायक निधि से 20.00 लाख रुपये स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की गयी है । निकाय द्वारा उक्त निर्माण कार्य के विस्तृत प्राक्कलन, ड्राईगं डिजाईन तैयार करने में समय लगेगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि, माननीय विधायक महोदय द्वारा अनुशंसित कार्य की स्वीकृति प्रदान करते हुये स्वीकृत आबंटन प्रदान करने का कष्ट करेंगे । जिसका विस्तृत प्राक्कलन बाद में प्रेषित कर दिया जावेगा ।




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

Nirmalkar-11677

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

101

dineshrajmunmun07@gmail.com


क्रमांक/...../...../वि.स. सिवनी 115
दिनांक 18/11/2022

प्रति,

✓ मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
सिवनी ।


विषय:- दलसागर टापू में राजा दलपत शाह प्रतिमा के स्ट्रक्चर कार्य विधायक
निधी से कराये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत नगर के दलसागर तालाब में स्थित टापू में राजा दलपत
शाह की प्रतिमा स्थापित किये जाने के लिए स्ट्रक्चर का कार्य कराये जाने हेतु
नगरपालिका में हस्तांतरित भेरी विधायक निधी से राशि रु. 10.00 (दस लाख रु.) की
सहमति/स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्तानुसार कार्य शीघ्र कराये जाने का
कष्ट करें।


(दिनेश राय मुनमुन)

प्रतिलिपि:-

जिला योजना अधिकारी, सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।


(दिनेश राय मुनमुन)

A-E (C.M.D)

Sub

18/11/2022

सहायक



आदेश

क्रमांक 460/जियोसा/प्र.स्वी./वि.नि./2019-20

सिवनी, दिनांक 3/03/2020

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ8-13/94-23/घोप-2/भोपाल दिनांक 18-7-1995 के तहत तथा अद्यतन संशोधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए माननीय श्री दिनेश राय, विधायक, विधानसभा क्षेत्र सिवनी द्वारा अनुश्रिता राशि रुपये 20.00 लाख एवं कार्यपालन सूत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की प्रत्याशा में अगस्त पर वर्ष 2019-20 के लिये क्रियान्वयन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका सिवनी द्वारा प्रस्तुत दलसागर के टापू में राजा दलपतशाह की प्रतिमा स्थापना हेतु स्टेयू निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु हेतु राशि रुपये 20.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि एक मुक्त राशि रुपये 20.00 लाख प्रदाय की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मांग संख्या 60/4515

शर्तें-

- 1- निर्माण कार्य नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर अनुमोदन एवं प्राकल्पन मानचित्र एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार संचालित स्थल पर ही कार्य कराया जाये। निर्माणकार्य एवं प्रस्तावित स्थल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस कार्यालय की पूर्ण अनुमति के बगैर नहीं किया जाये।
- 2- कार्य प्रारंभ होने एवं पूर्ण होने की सूचना संबंधित माननीय विधायक महोदय एवं इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दी जाये। कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व स्थल का फोटोग्राफ नरती में लगाये।
- 3- किसी भी परिस्थिति में प्रशासकीय स्वीकृति राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाये। यदि निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो अधिक व्यय राशि संबंधित विभाग/संस्था को स्वयं वहन करना होगी।
- 4- जका निर्माण कार्यों का टेकेंदारी प्रथम में कार्य कराया जाता है तो टेकेंदार का समन करने के लिये विभागीय प्रशासकों को अनुसरण किया जाये।
- 5- उक्त कार्यों में मजदूरी दर, शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार भुगतान की जायेगी।
- 6- स्वीकृत निर्माण कार्य, शासकीय भूमि पर कराये जायें, यदि कहीं निजी भूमि बीच में आती है तो संबंधित भू-स्वामी द्वारा उसी शासन के पक्ष में टाइटल देकर एवं तदानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन होने के उपरांत ही प्राप्ति किया जाये एवं निर्माण सामुदायिक हित में हो।
- 7- स्वीकृत कार्य दिनांक मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाये। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सूचना पटल लगाया जाये जिसमें माननीय विधायक का नाम/नि.सं. एवं स्वीकृत राशि, मजदूरी दर, कार्य जानकारी अंकित की जाये।
- 8- स्वीकृत कार्य की द्वितीय किस्त की राशि की माँग हेतु प्रथम किस्त की राशि की उपयोचितता हेतु मांग पूर्ण होने के उपरांत ही निर्माण कार्य के फोटोग्राफ सौम्यत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 9- कार्य के लिये स्वीकृत राशि में से कटौतव्यो की रूप में कार्यालयीन व्यय, आवासीय व्यय, वाहन व्यय, तथा स्थापना मद में किया जाने वाला व्यय पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- 10- स्वीकृत कार्य का वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय में प्रत्येक माह की 3 तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये तथा कार्य पूर्ण उपरांत एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र, एक परिणामोत्तर हस्ताक्षर तथा शेष राशि इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाये।
- 11- धार्मिक स्थल पर कार्य निषेध है। यदि धार्मिक स्थलों पर कार्य कराया जाता है, तो निर्माण एजेंसी स्वयं उत्तरदायी होगी।
- 12- यदि कार्य किसी अन्य योजना से लिया गया है तो स्वीकृति स्वयंसेव की निरस्त होगी।
- 13- रुपये 25000/- से अधिक के व्यय हेतु म0प्र0 भंडार क्रय नियम के अंतर्गत पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण की जाये।
- 14- उपरोक्त स्वीकृत कार्य आईआरसी मापदण्डों के अनुरूप कराया जाये।
- 15- कार्य एजेंसी से अनुबंध कराने के पूर्व कार्य स्थल का नक्शा, खसरा, पंचायत का प्रस्ताव तथा फोटोग्राफ सब कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होगी। इन दस्तावेजों के बिना कार्य का अनुबंध न किया जाये।
- 16- म0प्र0 वाणिज्य कर अधिनियम के निर्देशानुसार प्रदाय किया जा रहे सामग्री की राशि में शामिल GST को शासन के खाते में जमा कर विद्वान की प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये।

30/5/20

527
19/5/2020

विभागाध्यक्ष
नगरपालिका
सिवनी
19/05/2020

वन्दना मेहता | निर्माता

3/03/20
जिला योजना अधिकारी,
सिवनी

पृ. 46 / सियोसां / प्र. स्वी. / वि. नि. / 2019-20

सिवनी, दिनांक 3 / 03 / 2020

प्रतीति

- 1- निज सहायक, माननीय श्री दिनेश राय, विधायक, विधानसभा क्षेत्र सिवनी की ओर उनके पत्र क्र. 328 दि. 09.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भू-तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर को सूचनार्थ।
- 4- कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद सिवनी (किर्यान्वयन एजेंसी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया स्वीकृत कार्य के प्राक्कलन में सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करें।
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, सिवनी को देयक पारित करने हेतु अग्रोपित।
- 7- लेखा शाखा, जिला योजना एवं सांख्यिकी, कार्यालय सिवनी को कालम क्र.-7 में दर्शित राशि का देयक तैयार कर कोषालय से ई-पैगेंट से एजेंसी के खाते में राशि जमा कराये।
- 8- सहायक संचालक, जनसंपर्क सिवनी की ओर प्रकाशनार्थ।

Serani 03/03/20
जिला योजना अधिकारी,
7 जिला-सिवनी

AEC (P.W.D)
की जिनलिकल ऑफिसर
(P.W.D)

Cms

कार्यालय कलेक्टर, (जिला योज... की.)
जिला सिवनी (म०प्र०)

Telephone No-07692-220295, e-mail : dposeo@mp.gov.in

क्रमांक / 103 / जियोस / वि०नि० / 2021-22
प्रति,

सिवनी, दिनांक- 19 / 01 / 2022

✓ मुख्या नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सिवनी।

विषय -- दलसागर टापू में राजा दलपत शाह प्रतिमा के स्ट्रक्चर कार्य विधायक निधि से कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ -- मान. विधायक, सिवनी का पत्र क्र./2887/दिनांक 18.01.2022।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र आपको संबोधित है। जिसमें माननीय श्री दिनेश राय, विधायक-सिवनी द्वारा वर्ष 2019-20 की विधायक निधि से दलसागर तालाब में स्थित टापू में राजा दलपत शाह की प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु स्ट्रक्चर कार्य कराये जाने हेतु नगरपालिका में हस्तातरित राशि की सहमति/स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त कार्य जो कि कार्या. कले. जिला योजना एवं सांख्यिकी सिवनी के प्रशासकीय आदेश क्रमांक/460/जियोस./प्र.स्वी./वि.नि./2019-20 सिवनी दिनांक 03.03.2020 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर स्वीकृत राशि एकमुश्त आपको प्रदाय की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्य को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये माननीय विधायक महोदय सिवनी को अवगत कराने का कष्ट करे।

पृ० क्र. / / जियोस / वि०नि० / 2021-22
प्रतिलिपि :-

(1) निज सहायक, मान. विधायक, सिवनी का पत्र क्र./2887/दिनांक 18.01.2022 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Jeelani
19-01-22
जिला योजना अधिकारी
जिला सिवनी
सिवनी, दिनांक- /01/2022

Sd
जिला योजना अधिकारी
जिला सिवनी

AELPW.D

Sub
20/1/2022

Jeelani

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर
नगर पालिका चौराहा, एन.एच.- 7 मार्ग, सिवनी
Email Id : cmosconi@mpurban.gov.in

परिषद, जिला-सिवनी
(म.प्र.) 480661
Phone : 07692-292301

कार्यवृत्त परिषद का साधारण सम्मेलन बैठक दिनांक 28/10/2022 की
खण्ड सत्यप्रतिलिपि

R-7
R-9

प्रस्ताव क्रमांक- 3

निर्णय


दलसागर तालाब टापू में
दलपतशाह जी की प्रतिमा
स्थापना एवं स्टेचू निर्माण कार्य
(लागत राशि- 130 लाख)
बावतुं विचार एवं निर्णय ।

:- प्रकरण प्रस्तुत । सदन को अवगत कराया गया कि, जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 10/12/2019 में लिये गये निर्णय एवं माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र सिवनी के द्वारा की गयी मांग अनुसार दलसागर तालाब टापू में राजा दलपतशाह जी की प्रतिमा स्थापना किया जाना है । माननीय विधायक जी द्वारा दलसागर तालाब में म्युजिकल फाउण्टेन एवं लाईट साउण्ड शो के कार्य को स्वीकृत कराया गया है । दलसागर के टापू में मूर्ति स्थापना एवं म्युजिकल फाउण्टेन एवं लाईट साउण्ड शो से यह क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा ।

जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया कि, दलसागर तालाब टापू में कांस (मिश्र धातु) की 20-25 फीट ऊंची राजा दलपतशाह जी की प्रतिमा की स्थापना की जाये । प्रतिमा स्थापना एवं प्रतिमा स्थापना हेतु स्तम्भ (प्लेटफार्म) का निर्माण कराये जाने हेतु कुल लागत राशि- 130 लाख रुपये अनुमानित है । प्रतिमा स्थापना के कार्य में यदि आवश्यकता हो तो तालाब के पानी की निकासी कर खाली कराया जाये । तालाब खाली होने की स्थिति में तालाब के चारों तरफ फैंली गंदगी की सफाई एवं सिल्ट निकालने का कार्य तत्समय कराये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अतः राजा दलपतशाह जी की प्रतिमा की स्थापना एवं प्रतिमा स्थापना हेतु स्तम्भ (प्लेटफार्म) का निर्माण कराये जाने में लगने वाली राशि- 130 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की जाती है । प्रस्तावित व्यय राशि- 130 लाख रुपये उपलब्ध विधायक निधि/शासन मद/निकाय निधि से किया जावे । प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।

सत्यप्रतिलिपि


कार्यालय अधिकारी
नगर पालिका चौराहा सिवनी

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जिला-शिवनी (म.प्र.)

नगर पालिका चौराहा, एन.एच.7 मार्ग, जिला-शिवनी (म.प्र.) 480661
Email Id : cmoseoni@mpurban.gov.in

Phone : 07692221301

भाग / न.पा.प. / 2022

शिवनी, दिनांक 21/11/2022

1. थाना प्रगारी
2. यातायात पुलिसा विभाग शिवनी
3. कार्यपालन यंत्री
4. लोक निर्माण विभाग (म./स.) शिवनी
5. सहायक यंत्री (शहर)
6. ग.प्र.वि.वि.मंडल शिवनी
7. उपसंचालक
8. नगर तथा ग्राम निवेश छिंदवाडा
9. प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
10. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्ग छिंदवाडा

विषय :- दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु प्रतिमा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण प्रदान करने बाबद।

संदर्भ :- म.प्र. शासन संस्कृति विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र./एफ 6-13/1998/तीस/ सं.भोपाल दिनांक 10/02/2019 एवं पत्र क्र./एफ 6-13/1998/तीस/सं.भोपाल दिनांक 09/02/2012

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि माननीय श्री दिनेश राय जी (मुनमुन) विधायक महोदय शिवनी द्वारा वर्ष 2019-20 की विधायक निधि से दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की प्रतिमा हेतु स्टेचू निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिये राशि 20.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्संबंध में दिनांक 10/12/2019 को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में दल सागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की प्रतिमा स्थापना हेतु स्टेचू निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिये सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया है।

तदनुसार नगर पालिका परिषद शिवनी के द्वारा अपने कार्यवृत्त साधारण सम्मेलन दिनांक 28/10/2022 के प्रस्ताव क्रमांक 03 में दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू (प्लॉक नम्बर 09 प्लॉट नम्बर 04) में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु प्रतिमा स्थापना कार्य कराये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु प्रतिमा स्थापना हेतु इस निकाय को यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :- 1. प्रस्ताव की खण्ड सत्यप्रतिलिपि।

2. नजरी नक्शा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, शिवनी

शिवनी, दिनांक 21/11/2022

प्रस्ताव क्रमांक 23/11/2022 / न.पा.प. / 2022

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, जिला शिवनी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला योजना अधिकारी, जिला योजना, एवं सौंदर्यीकरण विभाग, जिला शिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, शिवनी

---कार्यालय थाना प्रभारी यातायात जिला सिवनी (म0प्र0):--

दिनांक 12/12/22

याता / 519 / 2022
प्रति.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सिवनी म.प्र.।

विषय:- दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु प्रतिमा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण के संबंध में।


संदर्भ:- पत्र क्रमांक 3566/न.पा.प./ 2022 दिनांक 21.11.2022 के संबंध में।

---00---

विषयांकित एवं संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख है कि दिनांक 10.12.2022 को दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु प्रतिमा स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू तक जाने का रास्ता शहर के मुख्य मार्ग के करीब है अतः यातायात संचालन में कोई बाधा उत्पन्न ना होते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जावे।

थाना यातायात द्वारा कार्यक्रम दौरान आवश्यक डियुटी लगाई जावेगी।


थाना प्रभारी
यातायात जिला सिवनी

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (नोडल अधिकारी) सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ।

/
थाना प्रभारी
यातायात जिला सिवनी

107
5/12/22

श्री अंतोष शर्मा
2/12/2022



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)

दूरभाष/Phone : 07162-292880
फैक्स/Fax : 07162-292880
ई-मेल/E-MAIL chhindwara@nhai.org
वेबसाइट/Website : www.nhai.org



परियोजना क्रियान्वयन इकाई छिन्दवाड़ा / Project Implementation Unit Chhindwara

एच.नं. 84, पॉलीथिन फैक्ट्री के बाजू में, स्वर्ण जयन्ती नगर, खजरी रोड, फ्रेंड्स कॉलोनी, छिन्दवाड़ा म.प्र. 480001

H.No. 84, Beside Polythene Factory, Swarna Jayanti Nagar, Khajri Road, Near Friends Colony, Chhindwara (M.P.) 480001

CHW/10011/6/Misc.Corr./2012/ 5699

Dated the 21st December, 2022

सेवामें,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
सिवनी (म0प्र0)

विषय: दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने बावत् ।

संदर्भ: आपका पत्र क्र. 3566/न.पा.प./2022 सिवनी दिनांक 21.11.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लेख किया गया है ।

चूंकि दलसागर तालाब सिवनी शहर में स्थित है एवं यह स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छिंदवाड़ा के अंतर्गत नहीं आता है । इसलिये इस कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना उचित नहीं होगा ।

भवदीय

(संजीव शर्मा)

परियोजना निदेशक



कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय,
छिन्दवाड़ा, सिवनी एवं वालाघाट म.प्र.
टॉउन हॉल परिसर, टॉउन हॉल, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Email- Chhindwara@mptownplan.gov.in

Phone No. 07162-247755

क्रमांक 2824/नग्रानि/2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20/12/2022

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
जिला- सिवनी (म.प्र.)

विषय: दल सागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्टधातु प्रतिमा स्थापना हेतु अभिमत यावत्।
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 3566/न0पा0नि0/2022 सिवनी दिनांक 21.11.2022.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 3 अनुसार दल सागर तालाब के अंदर स्थित टापू (ब्लॉक नं 9 प्लॉट नं 4) में राजा दलपत शाह जी की अष्टधातु प्रतिमा स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभिमत प्रदान किया जाता है।

1. प्रश्नाधीन स्थल पर राजा दलपत शाह जी की अष्टधातु प्रतिमा एवं म्यूजिकल फाउंटैन व लाईट साउण्ड शो एवं सीदर्यीकरण हेतु दिया गया अभिमत मान्य होगा।
2. प्रतिमा स्थापित किये जाने के पूर्व अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत सांस्कृतिक विभाग यातायात विभाग या अन्य कोई अपेक्षित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तो अनिवार्य रूप से प्राप्त की जावे यह अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने वाली अनुमति/अनापत्ति पर बंधनकारी नहीं होगी।
3. प्रतिमा स्थल तक पाथवे का निर्माण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा।
4. प्रतिमा स्थापना से किसी प्रकार का भूमि या अन्य किसी वैधानिक वाद-विवाद होने की दशा में यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

(हस्ताक्षर)
(हस्ताक्षर) के 0 परस्ते)

प्र 0 उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा

कार्यालय सहायक आभयता (शहर) [सबना उपखण्ड]
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रावनी

क-समा गंभी/शहर/अनापत्ति / 2535

/रावनी, दिनांक 12-12-22

प्रति,

मुख्य नगर पाठिका अधिकारी
नगर पाठिका परिषद रावनी (म.प्र.)

विषय :- विद्युत गंठल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री/श्रीमति- गुजरात राज्या म.प्र. म.प्र. म.प्र. म.प्र.

आलय/पत्नी ... रावनी ... रावनी ... रावनी ... रावनी (GK-111)

रावनी को द्वारा कार्यालय को विद्युत गंठल से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, इनके मकान/प्लॉट का निश्चय किया गया था, जो निम्नानुसार पाया गया :-

1) इस मकान/प्लॉट के उपर 33 को.पी./एल.टी. लाईन सर्किट लाईन गठी जाती है।

2) इस मकान/प्लॉट के उपर भाजू से जाने वाली विद्युत लाईन सुरक्षित है।

3) गंठल के नियमानुसार लाईन से सुरक्षित अंतर हेतु आवेदन द्वारा लाईन हटाने का खर्च वहन कर लाईन हटाना होगा।

4) मकान का छप्पा (बालकनी) इत्यादि जो भी बाहरी निर्माण होगा उसकी समानांतर 11 को.पी. लाईन से दूरी 10 फुट व निम्न दाय लाईन से कम ना हो, अन्यथा अनापत्ति निरस्त मानी जाएगी। एवं ध्यान रहे कि बिन्दु क.4 के उल्लंघन NOC पर निरस्त मानी जाएगी एवं सर्किट को रथाई विद्युत कनेक्शन नही।

5) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विद्युत लाईनो से सुरक्षित दूरी हेतु दिया जा रहा है। अनापत्ति प्राप्त करने मात्र से ही आवेदक विद्युत कनेक्शनो प्राप्त करने का पात्र नहीं हो जाता है।

6) कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पृथक से कार्यवाही करनी होगी।

7) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के अनुरूप ग्राम-एवं नगर निवेश, लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करें। अनापत्ति प्राप्त न होने पर प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगी।

8) शपथ पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनापत्ति निरस्त मानी जायेगी।

नोट: अरथाई विद्युत कनेक्शन उपरान्त ही निर्माण कार्य में शवन निर्माण का कार्य की NOC तैय मानी जायेगी।

सहायक संचालक (शहर)
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र-1, सिवनी (म.प्र.)

Web site: www.mp.gov.in/pwdmp

email: eepwd1senni@mp.nic.in

Phone No. 07692-220572, Fax No.220618

आप क्रमांक / 67/6 / तफ / 2022-23 /

सिवनी, दिनांक 23.12.2022

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
जिला-सिवनी (म.प्र.)

विषय :- दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु प्रतिमा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण प्रदान करने बाबद् ।
संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 3566/न.पा./2022/सिवनी, दिनांक 21.11.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत दलसागर तालाब के अंदर स्थित टापू में राजा दलपत शाह जी की अष्ट धातु प्रतिमा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है ।

तत्संबंध में लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) उपसंभाग क्र. 1 सिवनी के प. क्र. 750/तफ./2022-23/सिवनी दिनांक 22.12.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार इस विभाग से संबंधित कोई भी संपत्ति उक्त क्षेत्र में नहीं है । अतः विभाग कोई आपत्ति नहीं है ।

सहपत्र :- शून्य

(इंजी. एल.पी.सिंगोर)
कार्यपालन यंत्री,

लो.नि.वि.(भ/स) सं.क्र.1, सिवनी
सिवनी, दिनांक 23.12.2022

पृ. क्रमांक / 67/7 / तफ. / 2022-23 /
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय, सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. जिला योजना अधिकारी, (जिला योजना एवं सांख्यिकी) जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सहपत्र :- शून्य

कार्यपालन यंत्री,

लो.नि.वि.(भ/स) सं.क्र. 1, सिवनी



07692 - 220444
 (म.) 07692 - 220301
 (फॉक्स) 07692 - 220900

R-10

26

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक/5151/तोलि0/2023

आदेश

सिवनी, दिनांक 17/7/23

दलसागर तालाब के टापू में राजा दलपत शाह की मूर्ति स्थापना हेतु स्टेच्यू निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के संबंध में जिला योजना समिति, जिला-सिवनी की बैठक दिनांक-10.12.2019 में लिये गए निर्णय के अनुपालन में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद-सिवनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, गोपाल के पत्र क्रमांक एफ 6-13/1998/सं/तीस/गोपाल, दिनांक-10.02.2009 से जारी मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार, उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक-2266/लो.क.वि./न.पा.प./2023 सिवनी, दिनांक-12.07.2023 के द्वारा चेक लिस्ट प्रस्तुत करते हुए नगरीय क्षेत्र सिवनी अंतर्गत स्थित दलसागर तालाब टापू में पक्का पत्थर/ग्रेनाइट से बनी राजा दलपत शाह की आदमकद प्रतिमा स्थापना एवं स्तम्भ (प्लेटफार्म) निर्माण कार्य की अनुमति चाही गई है।

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, गोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-8/13/1998/तीस/सं/गोपाल, दिनांक-09.02.2012 के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं अन्य महापुरुषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में प्राप्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद-सिवनी द्वारा चाही गई दलसागर तालाब टापू में पक्का पत्थर/ग्रेनाइट से बनी राजा दलपत शाह की आदमकद प्रतिमा स्थापना एवं स्तम्भ (प्लेटफार्म) निर्माण कार्य की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है।

- 1- प्रतिमा स्थल तक जाने हेतु Path way का निर्माण आवेदक/विभाग को करवाना होगा।
- 2- प्रतिमा की संरचना तथा बनावट तकनीकी रूप से अनुपातिक होना चाहिए।
- 3- प्रतिमा तथा चतुस्तंभ की मजबूती तथा गौरव के प्रति अनुकूलता का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
- 4- प्रतिमा के सम्मान, साफ-सफाई तथा संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था आवेदक/विभाग की होगी।
- 5- प्रतिमा स्थापना से संबंधित किसी प्रकार का भूमि या न्यायालयीन विवाद नहीं होना चाहिए।
- 6- प्रतिमा स्थल तक पहुंच मार्ग की तथा दल सागर तालाब की साफ-सफाई का संपूर्ण दायित्व आवेदक/विभाग का होगा।
- 7- प्रतिमा स्थल तक जाने वाले आंगतुको/पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व आवेदक/विभाग का होगा।
- 8- रात्रि के समय प्रतिमा स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाये।
- 9- प्रतिमा की स्थापना के उपरान्त भविष्य में उसे संरक्षण, परिभाषा एवं दर्शनीय स्थली में रखा जाना स्थानीय निकाय का दायित्व होगा।


(क्षितिज सिंघल)

कलेक्टर,
सिवनी।

पृष्ठंकन क्रमांक / 5151A / 10/10/2023
प्रतिविधि -

सिवनी, दिनांक 10/10

- (1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय भोपाल को सूचनाार्थ।
- (2) आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सूचनाार्थ।
- (3) आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल को सूचनाार्थ।
- (4) पुलिस अधीक्षक, सिवनी की ओर सूचनाार्थ।
- (5) निज सहायक, मानव श्रमि दिनेश राय 'मुनमुन' विभायक, विधानसभा क्षेत्र-115 सिवनी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पेपित।
- (6) जिला योजना अधिकारी, सिवनी को सूचनाार्थ।
- (7) कार्यपालन संत्री, लोक निर्माण विभाग (म/स) संभाग-सिवनी की ओर सूचनाार्थ।
- (8) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सिवनी की ओर सूचनाार्थ।
- (9) परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण सिवनी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पेपित।
- (10) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्-सिवनी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पेपित।


कलेक्टर
सिवनी



(का.) 07692 - 220444
(नि.) 07692 - 220301
(फैक्स) 07692 - 220900

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक / 3398 / न.वि.स. / 2020
प्रति,

सिवनी, दिनांक / 02 / 12 / 2020

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय
म.प्र. भोपाल

विषय :- सिवनी नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित दलसागर तालाब में टापू के लिए फुट ब्रिज का निर्माण एवं टापू के सौंदर्यीकरण हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराने बाबद।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 10/08/2020 को मान0 श्री ढालसिंह बिसेन सांसद, बालाघाट-सिवनी, मान. श्री दिनेश राय मुनमुन, विधायक सिवनी, मान. श्री अलोक दुबे, अध्यक्ष जिला भारतीय जनता पार्टी सिवनी, श्री राजकुमार खुराना अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी एवं कलेक्टर की उपस्थिति में नगर विकास कार्यालय/नगर सौंदर्यीकरण से संबंधित तैयार की गई कार्ययोजना पर चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय में दलसागर तालाब के टापू सौंदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य कराने हेतु निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय अनुसार कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन तैयार कराया गया है जिसके अनुसार राशि 1,51,38,110/- (एक करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हजार एक सौ दस रुपये) की आवश्यकता है, प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न है। उक्त कार्य को कराने के लिए सिवनी नगर पालिका के पास राशि उपलब्ध नहीं है। शासन से राशि प्राप्त होने पर ही कार्य को कराया जाना संभव होगा।

अतः इस संबंध में नगर विकास समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्य को कराने के लिए राशि रु 1,51,38,110/- (एक करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हजार एक सौ दस रुपये) का अनुदान स्वीकृत कर राशि प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

o/c

कलेक्टर
सिवनी (म.प्र.)

7762
05/12/2020

सिवनी, दिनांक / 02 / 12 / 2020

पृ. क्रमांक / 3398 / न.वि.स. / 2020
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
सिवनी (म.प्र.)

o/c 2E(5)

कलेक्टर
सिवनी (म.प्र.)

ABCS
5/12/2020 5112

क्रमांक...116.../यां.प्र./07-5/2020

भोपाल, दिनांक 18/12/2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका सिवनी
म0प्र0।

विषय:- सिवनी नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित दलसागर तालाब में टापू के लिए फुट ब्रिज का निर्माण एवं टापू के सौन्दर्यीकरण हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
संदर्भ:- कलेक्टर, सिवनी म.प्र. का पत्र क्रमांक 3397 दिनांक 02.12.2020।

--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सिवनी नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित दलसागर तालाब में टापू के लिए फुट ब्रिज का निर्माण एवं टापू के सौन्दर्यीकरण हेतु 1,51,38,110/- रु राशि का अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में डी.पी.आर. तैयार कर विधिवत् प्रस्ताव के साथ संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर की अनुशंसा सहित संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल में प्रस्तुत करें, ताकि आगामी कार्यवाही की सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

AE (P.W.D.)

778
18/12/2020
10/12/2020
(संजय खाण्डे)
मुख्य अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
म0प्र0, भोपाल

35-2939
07/12/20

6071
5/12/20

ANITA_MEM1TR_0000

1/1

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop,
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2554085
Website: www.mpurban.gov.in
Email ID: ssejkar.se@mpurban.gov.in

भोपाल, दिनांक 24/12/2020

क्रमांक.1186.ते.../यां.प्र./07-5/2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका सिवनी
म0प्र0।

विषय:- सिवनी नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित दलसागर तालाब में टापू के लिए फुट ब्रिज का निर्माण एवं टापू के सौन्दर्यीकरण हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
संदर्भ:- कलेक्टर, सिवनी म.प्र. का पत्र क्रमांक 3397 दिनांक 02.12.2020।

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सिवनी नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित दलसागर तालाब में टापू के लिए फुट ब्रिज का निर्माण एवं टापू के सौन्दर्यीकरण हेतु 1,51,38,110/- रु राशि का अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में डी.पी.आर. तैयार कर विधिवत प्रस्ताव के साथ सभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर की अनुशंसा सहित संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल में प्रस्तुत करें, ताकि आगामी कार्यवाही की सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

Salim Thani

AE (P.W.D.)

24/12

CR

Sa
23/12/2020
(संजय खाण्डे)
मुख्य अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
म0प्र0, भोपाल



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग, जबलपुर
(ज०टी०ए०मि०लि०, नगपुर रोड, मदनमहल जबलपुर-482001, फोन न० 0761-2426531, 2429931, 4-पैल ddjabalpur@mpurban.gov.in / eejabalpur@mpurban.gov.in)

28
5
R-13 (31)

क्रमांक / 4269 / यां०प्र० / तक.स्वी. / 2020
प्रति,

जबलपुर, दिनांक 31/12/2020

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी
जिला - सिवनी

विषय :- प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति बाबत।
संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 3951 दिनांक 30/12/2020

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित निर्माण कार्यो के प्राक्कलनों की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधो के साथ प्रदान की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	अनुशंसा राशि
1	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत दलसागर तालाब के टापू के लिए एप्रोच फूट ब्रिज के निर्माण कार्य	रु. 1,68,20,123/-	रु. 1,56,73,000/-


नोट :- (1) उक्त तकनीकी स्वीकृति निकाय की मांग एवं कार्य स्वीकृति की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत आफलाईन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त तकनीकी स्वीकृति ऑनलाईन पोर्टल पर 07 दिवस के भीतर अपलोड कर ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे। अन्यथा की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित यंत्री स्वतः उत्तरदायी होंगे।

(2) निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिजाइन कराई जाकर अनुमोदन पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें।

- यह तकनीकी स्वीकृति म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत बनाये गये लेखा नियम 1971 के नियम 132 (3) के खण्ड (1) के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तृत प्राक्कलन एवं वर्किंग ड्राइंग का अनुमोदन इस कार्यालय से कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कराए जाए।
- तकनीकी स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन के प्रचलित आई.एस.एस.आर. प्रभावशील दिनांक 10/05/2012 के आधार पर दी गई है।
- मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 1971 के नियम 131 (3) के खण्ड (2) के तहत प्रशासकीय स्वीकृति एवं नियम (5) के तहत वित्तीय स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित करें। कार्य के प्राक्कलन व आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किया जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीक अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म०प्र०न०पा०लो०नि० 1961 नियम के प्रावधिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
- तकनीकी स्वीकृति यह मानकर अनुमोदित की जा रही है कि, स्थल निकाय स्वामित्व का होकर निर्विवादित है एवं कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/मद से संपादित नहीं किया गया है। तथ्यों को छुपाकर, निजी/अन्य कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जावेगी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी/परिषद इस हेतु पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।

TS/P/B

5. कार्य स्थल पर संबंधित निर्माण कार्य का कोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जावे, साथ ही कार्य प्रारंभ के कार्य समाप्ति पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफ तैयार कराये जायें।
6. आई.एस.एस.आर. एवं विभागीय स्पेशिफिकेशन, एम.ओ.एस.टी. एवं पी.डब्ल्यू.डी. वर्क्स मैन्युअल, आई.सी.ओ. एवं आई.ओ.आर.सी.ओ. कोड, सी.पी.एच.ई.ई.ओ. (CPHEEO) मैन्युअल के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. अंतिम देयक भुगतान के पूर्व निकाय हित में इस कार्यालय से देयक का परीक्षण कराया जायें। प्रत्येक देयक से 10 प्रतिशत राशि निरीक्षण हेतु रोकी जायें तथा उसका समायोजन अंतिम देयक के साथ किया जावे।
8. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./साहमति भी प्राप्त की जावे तथा भूमि स्वामित्व हेतु नजूल तथा अन्य विभागों से सक्षम अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
9. प्राप्त निविदा/कोटेशन की दरों की तुलना निकाय के क्षेत्र अथवा नजदीकी लोक निर्माण विभाग/गृह निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/लोक रथा यांत्रिकी विभाग के समान कार्यों की वर्तमान प्रचलित दरों से तुलना की जाकर, निविदा समिति के स्पष्ट अभिमत के साथ पारित प्रस्ताव पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने स्पष्ट मत अंकन कर, नियमानुसार पी.आई.सी./परिषद से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
10. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
11. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
12. निविदा सूचना में प्रावधान किया जावे कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
13. दुकान निर्माण/भवन/पानी की टंकी निर्माण कार्यों में अनिवार्य रूप से मृदा परीक्षण कराने उपरांत स्ट्रक्चरल डिजाईन इंजीनियरिंग कालेज अथवा मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराकर इस कार्यालय से अनुमोदन कराना होगा।
14. भवन में रेन वाटर हार्वैस्टिंग तकनीक का उपयोग करना होगा। निर्माण मूकम्परोधी तकनीक का होगा।
15. निविदा दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप-05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार से उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
16. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।


 अधीक्षण यंत्री
 नगरीय प्रशासन एवं विकास
 जबलपुर संभाग जबलपुर

TS/P/B

13
33
R-14

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details	
E-Stamp Code	01013609052023010542
Total E-Stamp Amount	14000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	14000
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	09/05/2023 17:24:38
Service Provider or Issuer Details	Rehana Bano/SP013640309202000034
SP/SRO/DRO/HO Details	NEW RANU STUDIO AND COMPUTERS MAIN ROAD RAGHUNATH COLONY LAKHINADON DISTT.- SEONI M.P. LAKHANADON SEONI
Deed Details	
Deed Type	Agreement or Memorandum of an agreement
Deed Instrument	Work Contract, not being a Development/Construction Agreement or a Security Bond, containing an agreement to secure the due performance of a contract or due discharge of a liability D (i) If contract value is upto Rupees 50 lacs D Rupees 500. (ii) If contract value exceeds Rupees 50 lacs D 0.1 percent of contract value subject to a maximum of rupees 5 lacs.
Purpose	work contract
First Party Details	
Name	rahul kumar jain S/O D/O W/O C/O kapoorchand jain
Address	Gandhi ward no. 10 lakhnadon SEONI Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1
Second Party Details	
Organization Name	CMO nagar palika parishad seoni
Address	CMO nagar palika parishad seoni SEONI Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

work contract

प्ररूप - 30

अनुबंध पत्र

(नियम- 105)

नगर पालिका परिषद सिवनी

आज 10 माह 05 के दिवस 2023 को मेसर्स राहुल जैन कान्स्ट्रक्टर गौधी बार्ड क्रमांक 10 लखनादोन जिला सिवनी (जो इस के बाद ठेकेदार कहे जाएंगे) एक पक्ष और नगर पालिका परिषद सिवनी (जिसे इस के बाद पालिका कहा जाएगा) दूसरे पक्ष के मध्य यह अनुबंध निष्पादित किया गया है। जहाँ ठेकेदार ने दिनांक 10/05/2023 को उपलब्ध करने, आपूर्ति परिधान अधिष्ठापित करने, निर्माण करने, रखने एवं संचारण करने/दलसागर तालाब टापू का सीदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य एवं अनुसूची में उल्लिखित सभी अन्य कार्यों के लिए निविदा दी है और उपरोक्त निविदा मुख्य नगर पालिका अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गई है और यह आवश्यक है कि जो अनुबंध निष्पादित किया गया है, वह दस्तावेज में लिखित रूप में लिखा जाएगा।

अब निम्न रूप से सहमत है :-

1. ठेकेदार निम्नांकित शर्तों के अनुसार कार्य अनुसूची में वर्णन के अनुसार और उसमें दशाये गए भुगतान के बदले में निष्पादित करेगा।

Digitally signed by REHANA BANO
Date: ... : IST

राहुल जैन गवर्नमेंट कान्स्ट्रक्टर
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

अनुबंध की शर्तें

- 1.- म.प्र./केन्द शासन द्वारा समय-समय पर आरोपित किये गये/किये जाने वाले समस्त करों को ठेकेदार को दिया जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में ठेकेदार का किराी भी तरह का दावा मान्य ही किया जायेगा, समय-समय पर शासन द्वारा जो भी संशोधन किये जायेंगे। वे भी नियम लागू होंगे। जिसे ठेकेदारों को मान्य होगा।
- 2.- काम पूर्ण कर्मनिष्ठता से किया जायेगा और किये जाने वाले सभी काम ठोस और कुशल कारीगरों के साथ किये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा दिये जाने पर सभी सामान अच्छा और सभी स्थितियों में इंजीनियर/ओवरसियर/मुख्य नगर पालिका अधिकारी लोक निर्माण संविधि की पुष्टि के अधीन होगा और कार्य की प्रगति की दर और काम या सामान गुणों के संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा किये गये जो ठेकेदार को मान्य होगा।
- 3.- किये गये काम का परिमाण नाम से निकाला जायेगा और कार्य संतोषप्रद पूर्ति पर भुगतान किया जायेगा।
- 4.- विलम्ब होने पर, काम या सामान खराब होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी उसे हटा सकेंगे और उसके स्थान पर दूसरा काम का सामान प्रतिस्थापित कर सकेंगे। अस्वीकृत कर हटायें गये काम का सामान का मूल्य या उसका प्रतिस्थापन का मूल्य जैसा भी उचित समझा जावे निविदा देने वाले पक्ष से उन्हें जो राशि देय हो उसमें से काट लिया जा सकेगा।
- 5.- नक्शे, रेखांकन और काम के संबंध में लिखित अनुदेश जिन पर मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी/इंजीनियर के हस्ताक्षर होंगे और कार्यालय के समय में निरीक्षण के लिये रखे जायेंगे और कार्य कड़ाई से उनके अनुरूप होगा।
- 6.- अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी/इंजीनियर को मूल नक्शे या अनुदेशों में उनके विवेक से ऐसे परिवर्तन करने की होगी जो कार्य की प्रगति की दृष्टि से आवश्यक और यह परिवर्तन उन्हीं शर्तों पर पूरा किया जायेगा जो मूल्य कार्य के लिये स्वीकृत की गई हो और उस समय तक में पूरा किया जायेगा, जो अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी और इंजीनियर अतिरिक्त कार्य हेतु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए लिखित में आदेशित करेंगे, और अतिरिक्त कार्य का यदि कोई हो निम्नांकित दर से भुगतान किया जायेगा।
 - अ- पूर्ण निश्चित दर से यदि काम करारनामा में उल्लेखित स्वरूप का हो।
 - ब- जब काम पृथक स्वरूप का हो और ऐसे कार्य की दर पूर्ण स्वीकृत न हो तो प्रभावशील दरों की अनुसूची में दिये हुए दरों से।
 - ग- यदि नगर पालिका परिषद में प्रभावशील दरों की अनुसूची में अतिरिक्त मद शामिल न हो तो ऐसी दर से विद्यमान बाजार दर से श्रमिक और सामान मूल्य का विरलेषण कर स्वीकृत के लिये राशम प्राधिकारी द्वारा उचित समझा जावे।
 - द- यदि परिवर्तन ठेके को मान्य न करेगा वरन काम को पूरा करने के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य में मूल काम को दिये गये समय में बढ़े हुए काम के अनुपात में वृद्धि की जायेगी।
- 7.- यदि अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत अपूर्ण या कुशल कारीगरी का नहीं है या उसमें तुरन्त सुधार करेगा या उसमें उपयोग किया गया सामान हीन है तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरन्त सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा। जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा, और उसके द्वारा इस कार्य को अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयोपधि में पूरा करने से इंकार करने पर या विकृत या हीन गुणों से समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्यस्थल से निर्धारित समय से हटाने पर निष्पोजन बस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य बस्तु सामान न लाने पर अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अधिक समय में अनुपालन न करने पर प्राक्कलन की राशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षति का भुगतान किया जायेगा।
- 8.- स्वीकृत करने हेतु राशम अधिकारी की राय में यदि किया गया काम विवरण के अनुसार कड़ाई से नहीं किया गया है तो उससे काम के लिये अति विवेक पर विवेक से जो वे उचित समझकर दर से भुगतान की शक्ति उन्हें होगी। किन्तु यह कार्यवाही पूर्णतः उसी के विवेक पर निर्भर रहेगी।
- 9.- अनुबंध संपन्न मिलने पर 3 दिवस में अनुबंध सम्पादित करना होगा एवं कार्यदेश मिलने पर 7 दिवस में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना होगा। निर्धारित समयोपधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो ठेका निरस्त किया जाकर एवं अमानत राशि राजसात कर अन्य ठेकेदार से नियमानुसार कार्य कराया जायेगा, एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की निविदा में आपको भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 10.- ठेकेदार द्वारा दी गई समयोपधि में काम पूरा न कर सकने की स्थिति में ठेकेदार के देयक से किये गये काम के मूल्य के दस प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
- 11.- मध्य प्रदेश कार्य विभाग मेनुअल की निविदा की सभी शर्तें लागू होंगी।
- 12.- निकाय की आर्थिक स्थिति के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
- 13.- किराी भी प्रकार वाद-विवाद (आरबीटेशन) की स्थिति में नगर पालिका परिषद सिवनी का निर्णय अंतिम होगा।
- 14.- कांफ्रीट के कार्य में ठेकेदारों को Vibrator को चलाना/उपयोग करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार द्वारा Vibrator का उपयोग नहीं किया जाता है तो ठेकेदार द्वारा किये गयेकार्य के मूल्य से दस (10%) की कटौती की जायेगी जो कि ठेकेदार को भविष्य में देय नहीं होगी।

यहलुप्त नवमेट कान्टेक्टर
लेखनावेन

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

- 3 -

- 15- निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में वैधानिक एवं न्यायलयीन कार्यवाही की स्थिति में समस्त जबाबदारी संबंधित ठेकेदार की होगी जो कि मान्य होगी।
- 16- निकाय में सहायक यंत्री/उपयंत्री द्वारा बताये अनुसार ही सीमेंट का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- 17- ठेकेदार द्वारा रीयल्टी चलीयरेन्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही अंतिम देयक का भुगतान ठेकेदार को किया जावेगा।
- 18- सहायक यंत्री के निरीक्षण के दौरान स्वयं ठेकेदार एवं ठेकेदार द्वारा अधिकृत डिप्रीवारी/डिप्लोमाधारी इंजीनियर कार्य स्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
- 19- कार्य का अंतिम देयक संगणकीय कार्यालय के कार्यपालन यंत्री द्वारा पारित उपरांत ही भुगतान किया जावेगा, जिसके लिये E.M., S.D. राशि 10% मिलाकर E.E. चैकिंग (21%) राशि कुल देयक में से रोकी जायेगी।
- 20- विज्ञापन में दी गई शर्तें एवं अन्य शर्तें ठेकेदार को बंधनकारी एवं मान्य होगी।
- 21- वयूब टेरट, सामग्री टेरट एवं जल प्रदाय (टैकरो के माध्यम से) किये जाने की स्थिति में निर्धारित 1 प्रतिशत कुल लागत का ठेकेदार के भुगतान से कटौती की जायेगी।
- 22- निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों (Specification) के अनुसार करना पक्ष क्रमांक- 2 को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
- 23- किसी भी तरह के माद-विवाद की स्थिति में नगर पालिका परिषद सिवनी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जो कि पक्ष क्रमांक - 02 के लिए बंधनकारी होगा।
- 24- किसी भी तरह के माद-विवाद एवं आरविटेरेशन की स्थिति में न्यायालयीन कार्यवाही जिला न्यायालय सिवनी के अंतर्गत होगी।

उपरोक्त वर्णित अनुसूची

कार्य का नाम	मद का क्रमांक	श्रेणी एवं कार्य का विवरण	निष्पादित किये जाने वाले कार्य का मात्रा	गणना की ईकाई	भुगतान की दर	पूर्णता की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
दलसागर सालाब टापू का सौदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य	नगर पालिका/सासन अनुदान	दलसागर सालाब टापू का सौदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य	स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार	स्वीकृत निविदा दर अनुसार	35.00% अधिक एसओआर (10 प्रई 2012)	कार्यादेश दिनांक से 8 माह के भीतर
		लागत राशि - 13993998/-				

आज दिनांक 10/05/2023

गुल (अभि) कान्टेक्टर
दिनांक 10/05/2023 का नाम एवं हस्ताक्षर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी
10/5/2023

साक्षी के दिनांक सहित हस्ताक्षर

- हस्ताक्षर (अभि) कान्टेक्टर लखनौ जिला - सिवनी
नाम/पता
- हस्ताक्षर (विभव ठाकुर) सिवनी
नाम/पता
श्रीदीनार सिवनी

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिवनी (म०प्र०)

26

क्रमांक / 819 / लो.नि.शा. / न.पा.प. / 2023
प्रति,

कार्यादेश

सिवनी दिनांक 12/05/2023

भेरास राहुल जैन कान्स्ट्रक्टर
गोंधी चार्ज क्रमांक 10 लखनादौन
जिला सिवनी (म०प्र०)


विषय :- दलसागर तालाब टापू का सौंदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य करने बाबत।

संदर्भ :- आपके द्वारा निम्नादित अनुबंध दिनांक 10/05/2023 के अनुसार।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में निर्धारित मापदंडों (स्पेशिफिकेशन) के अनुसार अनुबंध की शर्तों पर साईड प्रभारी उपयंत्री श्री ~~श्री/श्रीमती सुभाष कुमारी सिवनी (लो.नि.शा.)~~ उपयंत्री के निर्देशानुसार ले-आऊट लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर प्रभारी उपयंत्री के निर्देशानुसार पूर्ण कर कार्यालय को सूचित करें। कार्य के दौरान वांछित सामग्री एवं कांक्रीट मिश्रण का परीक्षण स्वयं के व्यय पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/संस्था से कराया जाकर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


क्रं	कार्य का विवरण	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत	निर्माण कार्य की स्वीकृत दर	कार्य करने का समय
1	दलसागर तालाब टापू का सौंदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य	13993998/- (18% जीएसटी)	35 00% अधिक एस्टीमेशन (10 मई 2012 से प्रभावशालि)	06 माह
	योग :-	13993998/-		


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी

पृष्ठा क्रमांक 820 / लो.नि.शा. / न.पा.प. / 2023
प्रतिलिपि :-

सिवनी दिनांक / 12 / 05 / 2023

- माननीय अध्यक्ष महोदय न.पा.प. सिवनी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- संबंधित चार्ज पार्षद सम्मानीय श्री की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री/श्रीमती ~~सुभाष कुमारी सिवनी (लो.नि.शा.)~~ उपयंत्री, नगर पालिका परिषद सिवनी को आर्दशित किया जाता है कि निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों (स्पेशिफिकेशन) एवं प्राप्त टी.एस. के अनुसार निर्माण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्य गुणवत्ता अनुरूप न होने की स्थिति में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा।
- संबंधित सुपरवाइजर श्री ~~राहुल जैन~~ के द्वारा प्रशा. न.पा.प. सिवनी कार्य अपनी देख-रेख में प्रारंभ कर प्रगति रिपोर्ट एवं पूर्णता रिपोर्ट दें। पालनार्थ।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी


राहुल जैन गवर्नमेंट कान्स्ट्रक्टर
लखनादौन

o/c



123

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जिला-सिवनी (म.प्र.)

नगर पालिका चौसाहा, एन.एच.7 मार्ग, जिला-सिवनी (म.प्र.) 480001

Email Id : cmoseoni@mpurban.gov.in

Phone : 07732-222222

R-15
(37)

क्रमांक...4890/न.पा.प./2023-24

सिवनी, दिनांक 11/01/2024

प्रति

श्री राहुल जैन

ठेकेदार वार्ड क्रमांक 10 लखनादौन

जिला-सिवनी (म.प्र.)

विषय :- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के द्वारा पारित आदेश के परिपालन में दलसागर तालाब टापू का सौन्दर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य बंद रखे जाने बाबद्।

संदर्भ :- कार्यालयीन कार्य आदेश क्रमांक/819/लो.क.शा./न.पा.प./2023 सिवनी दिनांक 23/05/2023 नोटिस पत्र क्रं.4833/लो.क.शा./न.पा.प./2024 सिवनी दिनांक 08/01/2024

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित कार्य आदेश एवं नोटिस पत्र के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के द्वारा पारित आदेश के परिपालन में दलसागर तालाब टापू का सौन्दर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य दिनांक आगामी आदेश तक बंद रखा जाना सुनिश्चित करें।

. अतः सूचना पावे।

यु.ए.न.म.
R-15
12/01/24

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

सिवनी, दिनांक 11/01/2024

क्रमांक...4890A/न.पा.प./2023-24

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला सिवनी की की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री संतोष कुमार तिवारी, प्रभारी सहा.यंत्री/दीपक उईके उपयंत्री न.पा.प. सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी








13

14






(43)



44







133

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, जिला-सिवनी (म.प्र.)

नगर पालिका चौसाहा, एन.एच.7 मार्ग, जिला-सिवनी (म.प्र.) 480061

Email Id: cmoseoni@mpurban.gov.in

Phone : 07692221301



क्रमांक 4999/न.पा.प./2024

सिवनी, दिनांक 16/01/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर (म.प्र.)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रमांक 154/2023 आदेश दिनांक 08/01/2024 के संबंध में।

संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, का पत्र क्रमांक/2573/क्षे.का./प्र.नि.यो./2024 दि जबलपुर दिनांक 11/01/2023

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि दलसागर तालाब ड्रील में निर्माण कार्य के संबंध में विन्द्धार जानकारी निम्नानुसार है :-

1. नगर पालिका द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/4890/न.पा.प./2023-24 दिनांक 11/01/2024 टेकेंदार श्री राहुल जैन को कार्य बंद करने हेतु पत्र जारी किया गया। टेकेंदार द्वारा पत्र के परिपालन में कार्य को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में कार्य पूर्णतः बंद है।
2. दलसागर तालाब में रैन बसीरा के पास से जो गंदे पानी की आधक तालाब में आ रही थी उसे पूर्व में ही पूर्णतः बंद किया जा चुका है।
3. दलसागर तालाब में कचरा, प्लारिस्टिक एवं घास की सफाई का कार्य जारी है साथ ही तालाब को जो भाग सूखा है उसमें डिसेल्टिंग का कार्य किया जा रहा है।

अतः जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- राहुल जैन को प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

क्रमांक 4999/न.पा.प./2024

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान क्लेक्टर महोदय, सिवनी जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

सिवनी, दिनांक 16/01/2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिवनी

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Phone: 0755-2550000
Fax: 0755-2550000
E-mail: ura@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

48
R-18

क्रमांक/या.प्र./07/2022/510/2

भोपाल, दिनांक-06/05/22

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका, सिवनी
जिला- सिवनी।

विषय :- दलसागर तालाब सिवनी में फाउण्टेन लाईट एवं साउण्ड सिस्टम कार्य के संबंध में।

संदर्भ :- सीएम मॉनिट क्र. 700/सीएमएस/एमआरजी/2022 दिनांक 29.04.2022

विषयांतर्गत आपके निकाय क्षेत्र में उपरोक्तानुसार दलसागर तालाब सिवनी में फाउण्टेन लाईट एवं साउण्ड सिस्टम कार्य के संबंध में सीएम मॉनिट ए+ में प्रकरण सूचीबद्ध है। संदर्भित पत्रानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रु. 240,00 लाख है। वृत्तमा उपरोक्त कार्य का विस्तृत प्रावकलन, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति के साथ दिनांक 13.05.2022 तक अनिवार्य रूप से ईमेल- enc.usd@mpurban.gov.in, ssejkar.sc@mpurban.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

OR
S. J. Yadav
03/05/2022

P. Yadav
S. J. Yadav

क्रमांक/या.प्र./07/2022/510/2

(जी. पी. कटारे)
प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जयलपुर संभाग, जयलपुर
कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जयलपुर संभाग, जयलपुर

पृ. क्रमांक/1547/या.प्र./2022

जयलपुर, दिनांक : 06/05/22

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका सिवनी
जिला-सिवनी

विषयांतर्गत दलसागर तालाब सिवनी में फाउण्टेन लाईट एवं साउण्ड सिस्टम कार्य के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रकरण सीएममॉनिट ए+ में सूचीबद्ध है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

सांगागीय-कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
- जयलपुर संभाग, जयलपुर

क्रमांक/यां.प्र./07/2022/5237

भोपाल, दिनांक-06-05-22


प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका, सिवनी
जिला- सिवनी।

विषय :- दलसागर तालाब सिवनी में फाउंटेन लाईट एवं साउण्ड सिस्टम कार्य के संबंध में।

संदर्भ :- सीएम मॉनिट क्र. 789/सीएमएस/एमआरजी/2022 दिनांक 29.04.2022


विषयांतर्गत आपके निकाय क्षेत्र में उपरोक्तानुसार दलसागर तालाब सिवनी में फाउंटेन लाईट एवं साउण्ड सिस्टम कार्य के संबंध में सीएम मॉनिट ए+ में प्रकरण सूचीबद्ध है। संदर्भित पत्रानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रु. 840.00 लाख है। कृपया उपरोक्त कार्य का विस्तृत प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति के साथ दिनांक 13.05.2022 तक अनिवार्य रूप से ईमेल- enc.uad@mpurban.gov.in, ssejkar.se@mpurban.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(जी. पी. कटारे)
प्रमुख अभियंता

नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक-06-05-22

पृ.क्रमांक/यां.प्र./07/2022/5238
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
3. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग- जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित समय-सीमा में उपरोक्त प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/यां.प्र./07-3/2023/ 232

भोपाल दिनांक 10/7/2023

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी
जिला - सिवनी (म.प्र.)

विषय:- नगर परिषद सिवनी में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत
दल सागर तालाब में फ्लाउटेन लाईट एवं साउंड सिस्टम कार्य की तकनीकी एवं
प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ:- अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास जयलपुर संभाग जयलपुर का पत्र क्र.
2551 दिनांक 01.06.2023।

-00-

नगर पालिका परिषद सिवनी में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण अंतर्गत
"दल सागर तालाब में फ्लाउटेन लाईट एवं साउंड सिस्टम कार्य" हेतु रु 840.00 लाख की
शैक्षणिक स्वीकृति संचालनालय के पत्र क्र 6462 दिनांक 23.05.2022 से प्रदान की गई है।
अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास जयलपुर संभाग की अनुसंधान अनुसार
रु. 744.75 लाख (रु सात करोड़ चालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र जी.एस.टी. सहित)
की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. प्रस्तावित कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन शाराकीय इंजीनियरिंग
कॉलेज से कराना होगा।
2. निर्माण कार्य में मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेंट मैन्युअल का पालन किया जाए।
3. निर्माण/खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जाए।
4. विद्युत संबंधित कार्य निर्धारित मानक मापदण्डों एवं प्रस्तावित स्पेशलिफिकेशन
अनुसार करना होगा।
5. निःशक्त लोगों के दिग्ग याधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
6. कार्यस्थल पर वैचिंग/निर्वासन प्लॉट स्थापित किया जावे तथा कांक्रीट के प्रत्येक
वैच की ऑटोमेटिक जनरेटिव रिपोर्ट संघारित की जावे।
7. कार्य का भुगतान कार्यस्थल के वास्तविक माप अनुसार किया जावे।
8. कार्य की सक्षम द्वितीय स्वीकृति प्राप्त किया जाकर ही कार्य प्रारंभ करना होगा।
9. इलेक्ट्रिकल एवं स्ट्रीट लाईट का कार्य BIS 1981 के प्रावधान अनुसार कराया जाना
होगा।
10. इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम तथा
उसके अंतर्गत बने नियमों का पालन सुनिश्चित हो तथा नगरीय निकायों का
विनाशक शिव संरक्षित हो।
(प्रायुक्त द्वारा अनुमोदित)

(हंस कुमार जैन)

प्रमुख अभियंता

नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

137

महानगरपालिका, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P.Bhopal


Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Email: rgoswami@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

51

क्रमांक/यां.प्र./07-3/2023/ 8 233 भोपाल दिनांक 10/7/2023

प्रतिलिपि :-

अधीक्षण यत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास जयलपुर संभाग, जयलपुर ।
की ओर सूचनार्थ ।


प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

सं.प्र./07-3/2024/323

भोपाल, दिनांक 11/01/2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शिवनी
जिला -शिवनी (म.प्र.)

विषय:- नगर पालिका परिषद शिवनी में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत "दल सागर तालाब में फाउण्टेन एवं साउण्ड सिस्टम कार्य" की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

- संदर्भ:- 1. अधीक्षण सत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर रभाग का पत्र क्र. 6147 दिनांक 18.12.2023।
2. संचालनालय के पत्र क्र. 6462 दिनांक 23.06.2022।

---00---

विषयांतर्गत प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्र. 8282 दिनांक 10.07.2023 से जारी शशि रु. 744.75 लाख की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में नगर पालिका परिषद शिवनी में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत "दल सागर तालाब में फाउण्टेन एवं साउण्ड सिस्टम कार्य" हेतु प्राप्त न्यूनतम दर 2.10% कम UADD ISSR 2021 अनुसार रु. 729.11 लाख (रु. सात करोड़ उनतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) (जी. एस.टी. सहित) की वित्तीय स्वीकृति म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1981 के लेखा एवं वित्त नियम 2018 के नियम 239 के तहत निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों का पालन सुनिश्चित हो तथा नगरीय निकायों का वित्तीय हित संरक्षित हो।
2. प्रस्तावित कार्य निकाय के स्वामित्व की भूमि पर होना चाहिए। अन्य प्राधिकारी के स्वामित्व की भूमि पर कार्य करने की स्थिति में, निविदा जारी करने से पूर्व, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. निर्माण कार्य में मध्यप्रदेश वर्कर्स डिपार्टमेंट मेनुअल का पालन किया जाए।
4. सीमेंट कांक्र्रीट निर्माण हेतु कार्यस्थल पर बैरिंग/गिरिंग प्लॉट स्थापित किया जाये तथा कांक्र्रीट के प्रत्येक बैच की ऑटोमैटिक जनरेटेड रिपोर्ट संधारित की जाये।
5. प्रस्तावित कार्य की स्ट्रक्चरल/क्रस्ट/हाईड्रोलिक डिजाइन का परीक्षण शासकीय इन्जीनियरिंग कॉलेज से कराना होगा।
6. प्रस्तावित योजना एवं उसकी शर्तों को अंगीकृत करने संबंधी एम.आई.सी./पी.आई.सी. का संकल्प संलग्न करना होगा।
7. योजना अंतर्गत स्वीकृत शशि बजट उपलब्धता एवं प्रगति के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
8. योजना के विरुद्ध स्वीकृत शशि का उपयोग योजना से भिन्न कार्यों में नहीं किया जायेगा।



9. शेष शर्तें संचालनालय के पत्र क्र. 8282 दिनांक 10.07.2023 अनुसार यथावत रहेंगी।
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(सुरेश सोजकर)
प्रमुख अभियंता

नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/01/2024


पृ. क्रमांक/यां.प्र./07-3/2024/324
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर सभाग।
2. अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर सभाग।
की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख अभियंता


नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

54



FLOATING PLATFORM



TOTAL LENGTH OF FLOATING PLATFORM = 150 FEET = 45 METERS



TOTAL AREA OF FLOATING PLATFORM = 2 METER X 45 METER = 90 SQ METER

SEATING AREA & FOUNTAIN AREA HIGHLIGHTED

PLANNING - GOOGLE MAPS ACTUAL IMAGE ALONG WITH COORDINATES



TALAB STREET LIGHT PLANNING


60 QUANTITY - Street lights & RGB Flood LIGHT

4 QUANTITY - Automation Panel

Distance between poles = 30 meters

3 PHASE SUPPLY WITH EARTHING & DATA CABLE

1 PHASE SUPPLY WITH EARTHING & DATA CABLE



सहायक मंत्री
नगर-पालिका-विकास (नगर)

मुख्य नगर कार्यपालिका-अधिकारी
नगर-विकास-विकास (नगर)



143

(5)

**VAKALATNAMA**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH BHOPAL

O.A Case No. 154 / 20.23

Petitioner/ Appellant /
Applicants} Navendra Meshra
VERSUS

Respondent / Non-applicant

} Municipal Council Seoni
8 or

I, we the *Plaintiff/Appellant/Claimant/Petitioner/Applicant or Defendant/ Resp./ Non-applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate (s) named below to appear, act and plead in aforesaid case/proceedings which shall includes applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in the Court or in any order Court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the appellate revisional or executing Court in which proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, petitions, applications, affidavits, or authorize him/them to deemed necessary or proper for the prosecution/defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts cone by him/them as if done by me/us.

In witness whereof I we do hereunto set my/our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me/us this.....day of January 20.24.....at.....

Particulars (in block letters of each party Executing Vakalatnama)

Name & Father's / Husband's Name	Registered Address	E-mail Address (if any)	Telephone No. (if any)	Status in the Case	Full Signature / Thumb Impression
Ram Kumar Kuyveti	C.M.O. M.C. Seoni	emoseoni@mpurba.n.gov.in	94254-84089		

Accepted : Particulars (in Block Letters) of each advocate accepting Vakalatnama

Full name & Enrollment No. in state Bar Council	Address for (if any)	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Full Signature
Deepak Awasthi 2420/95	H.No-50 A.P.R colony, Bilhari Jabalpur C.M.P	deepakawasthi1970@gmail.com	94250 30909	

* Score out whichever is not applicable.

* the thumb impression shall be attested by a literate person giving above particulars.

